Hindi

विक्टोरियाई रोगी परिवहन सहायता योजना

दिशा-निर्देश 2015

VICTORIA State Government
Health and Human Services

विक्टोरियाई रोगी परिवहन सहायता योजना

दिशा-निर्देश 2015

इस प्रकाशन को सुलभ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए कृपया VPTAS कार्यालय को 1300 737 073 पर फोन करें, ज़रुरत पड़ने पर National Relay Service 13 36 77 का प्रयोग करके, अथवा vptas@dhhs.vic.gov.au पर ई-मेल करें।

विक्टोरियाई सरकार, 1 Treasury Place, Melbourne द्वारा प्राधिकृत एवं प्रकाशित।

© विक्टोरिया राज्य, दिसम्बर 2015

यह कार्य Creative Commons Attribution 4.0 लाइसेंस (creativecommons.org/licenses/by/4.0) के अधीन लाइसेंस-प्राप्त है। आप चाहें तो इस लाइसेंस के अधीन इस कार्य का दोबारा प्रयोग कर सकते/सकती हैं, इस शर्त पर कि आप विक्टोरिया राज्य को लेखक के तौर पर श्रेय देते हैं, कोई परिवर्तन किए जाने पर इसे दर्शाते हैं और लाइसेंस की अन्य शर्तों का अनुपालन करते हैं। लाइसेंस विक्टोरियाई सरकार के लोगो (प्रतीक चिह्न), तस्वीरों या कलात्मक कार्य सहित किसी ब्रांडिंग पर लागू नहीं है।

जहाँ 'एबोरिजनल' शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह एबोरिजनल और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी, दोनों, मूल के लोगों को संदर्भ करता है। इन्डिजनस (देशज) शब्द को उस परिस्थिति में बनाए रखा गया है जब यह किसी रिपोर्ट, कार्यक्रम या उद्धरण के शीर्षक का भाग हो।

आई.एस.बी.एन 978-0-7311-6838-5 (मुद्रित)

आई.एस.बी.एन 978-0-7311-6839-2 (pdf)

www.health.vic.gov.au/ruralhealth पर उपलब्ध

Sovereign Press, Ballarat द्वारा सुस्थिर कागज़ (1503001) पर छापा हुआ।

विषय-वस्तु

योजना का सारांश	**1**
पात्र कौन है?	1
पात्र कौन नहीं है?	2
यात्रा एवं आवासीय सहायता	3
क्लेम जमा कराना	3
अधिक जानकारी	4
योजना के सिद्धांत	**5**
सेवा के स्तरमानक	5
पात्रता के विस्तृत मानदंड	**6**
स्थान	6
निवास स्थान	7
दूरी	8
अनुमोदित उपचार	10
सबसे अधिक उचित अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ	11
रोगी एस्कॉर्ट	12
नवजात शिशु के लिए एस्कॉर्ट	14
ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर (प्रत्यारोपण और जीवित दाता)	16
मृतक लोग	16
यात्रा सहायता	**17**
परिवहन के साधन	17
कवर्ड यात्रा	21
आवासीय सहायता	**23**
वाणिज्यिक एवं सब्सिडाइज़्ड (आर्थिक सहायता प्राप्त) आवासीय स्थान	24
आवासीय प्रदाताओं को सीधा भुगतान	25
अयोग्य आवासीय खर्चे	25
VPTAS क्लेम फॉर्म पूरा करना	**26**
VPTAS क्लेम फॉर्म	26

प्राधिकृत अधिकारी	27
कन्सेशन (रियायत) कार्ड धारक	28
क्लेम करने की समय सीमा	29
नाकामयाब या अपूर्ण क्लेम	30
प्रतिक्रिया: शिकायत, सराहना एवं समीक्षा से सम्बन्धित नीति	**32**
शिकायत, सराहना या समीक्षा का निवेदन क्या है?	32
प्रतिक्रिया या समीक्षा का निवेदन कैसे प्रदान करें	32
क्या आपको सहायता की ज़रुरत है?	33
आपकी शिकायत या समीक्षा का निवेदन	33
विक्टोरियाई लोकपाल के पास जाना	35
शिकायत और समीक्षा से सम्बन्धित एकत्रित जानकारी के साथ क्या होता है?	36
गुप्तता	**37**
लेखा परीक्षण	38
परिशिष्ट 1: विक्टोरियाई ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र	**39**
परिशिष्ट 2: विक्टोरियाई महानगरीय (मेलबोर्न) स्वास्थ्य क्षेत्र	**40**
परिशिष्ट 4: डेन्टल स्वास्थ्य सेवाएँ विक्टोरिया – विशेषज्ञ खण्ड	**42**
परिशिष्ट 5: फैमिली स्पोर्ट लेटर (पारिवारिक सहायता पत्र)	**44**
परिशिष्ट 6: VPTAS क्लेम फॉर्म	**45**
शब्दावली	**49**

योजना का सारांश

विक्टोरियाई रोगी परिवहन सहायता योजना (VPTAS) उन विक्टोरियाई लोगों की उनकी यात्रा और आवास में लगने वाले खर्च में आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद करती है, जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यह योजना पात्र विक्टोरियाई लोगों और अनुमोदित एस्कॉर्ट (सहचर) को सम्मिलित करती है, जिनके पास अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाएँ हासिल करने के लिए एक तरफ़ की ओर 100 किलोमीटर से अधिक अथवा एक या एक से अधिक सप्ताह के लिए औसतन 500 किलोमीटर की यात्रा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। VPTAS के ये दिशा-निर्देश योजना के पात्रता मानदंड, सब्सिडी की दरों और शर्तों को तय करते हैं। योजना के क्लेम फॉर्म कई चिकित्सीय क्लिनिकों, ग्रामीण एवं महानगरीय अस्पतालों और Department of Health & Human Services के ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यालयों पर उपलब्ध हैं, या इन्हें Department of Health & Human Services की वेबसाइट http://go.vic.gov.au/1epXMN से डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिक जानकारी या सवालों के लिए, रोगियों, उपभोक्ताओं, देखरेखकर्ताओं, क्लीनिशियन या विशेषज्ञों को VPTAS कार्यालय से संपर्क करना चाहिए:

टेलीफोन: 1300 737 073
ई-मेल: vptas@dhhs.vic.gov.au
वेबसाइट: <http://go.vic.gov.au/1epXMN>

यदि आपको अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में सहायता की ज़रुरत है तो कृपया राष्ट्रीय टेलीफोन दुभाषिया सेवा के माध्यम से फोन करें:

तात्कालिक फोन इंटरप्रेटिंग: 131 450
पहले से बुक की गई फोन इंटरप्रेटिंग बुकिंग: 1300 655 081
वैकल्पिक रूप से, VPTAS जानकारी को उपरोक्त वेबसाइट पर 10 सामुदायिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है।

पात्र कौन है?

सहायता के पात्र होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे करें:

- आप विक्टोरियाई निवासी होने चाहिए
- आप Department of Health & Human Services द्वारा नामांकित चित्र 1 में दर्शाए किसी ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवास करते होने चाहिए (***परिशिष्ट 1***)
- किसी ऐसी चिकित्सीय प्रदाता से विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार प्राप्त करते हों जो *स्वास्थ्य बीमा विनियम 1975 (Health Insurance Regulations 1975)* की अनुसूची 4 के अनुसार *स्वास्थ्य बीमा अधिनियम 1973* (*Health Insurance Act 1973*) (Cwlth) के अधीन किसी खास विशेषज्ञता में एक विशेषज्ञ के तौर पर Medicare Australia के साथ पंजीकृत हो

- एक तरफ़ की ओर 100 किलोमीटर से अधिक या एक या एक से अधिक सप्ताह के लिए औसतन 500 किलोमीटर की यात्रा करने की ज़रुरत हो, जिसे आप https://maps.google.com.au वेबसाइट पर *Google maps, Get Directions* प्रकार्य का प्रयोग करके जांच सकते/सकती हैं।

उन महानगरीय (चित्र 2, ***परिशिष्ट 2***) और ग्रामीण विक्टोरियाई निवासियों को सहायता प्रदान की जा सकती है, जिन्हें उस परिस्थिति में किसी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा के लिए किसी दूसरे राज्य में रेफर किया जाता है, यदि यह सबसे नज़दीकी स्थान हो या फिर वह सेवा विक्टोरिया में उपलब्ध न हो। अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ या रेफर करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी चाहिए कि आवश्यक सेवा विक्टोरिया में उपलब्ध नहीं है।

एस्कॉर्ट्स और लिविंग डोनर्स सहित VPTAS के पात्रता मानदंड का और अधिक विस्तृत विवरण इन दिशा-निर्देशों के ***'पात्रता के विस्तृत मानदंड'*** अनुभाग के अधीन प्रदान किया जाता है।

पात्र कौन नहीं है?

आप VPTAS के पात्र नहीं हैं, यदि आप:

- किसी ऐसे क्लीनिकल परीक्षण या प्रयोगात्मक उपचार में भाग ले रहे/रही हैं जिसका उद्देश्य किसी विशेष रोग का प्रबंध करने के बेहतर तरीके का पता लगाना हो (क्लिनिकल परीक्षण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए <www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial> देखें)
- विक्टोरिया के अलावा किसी दूसरे राज्य या टेरेटरी (राज्य क्षेत्र) में निवास करते/करती हैं (बशर्ते आप किसी विक्टोरियाई रोगी के लिविंग ऑर्गन डोनर [जीवित अंग दाता] न हों)
- उपचार के शुरू होने पर अपने स्थायी घर से दूर हों, जैसे कि आप छुट्टियों पर हों या आप विक्टोरिया या किसी दूसरे राज्य में मित्रों या परिवार को मिलने गए हों
- चिकित्सीय उपचार के लिए ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया से बाहर यात्रा करने वाले/वाली हों
- अलाएड हेल्थ प्राप्त कर रहे/रही हों (उदाहरणत: ऑडियोलॉजी, फिजियोथैरेपी, पोडाइअट्री [पादचिकित्सा] या स्पीच थेरेपी)
- जनरल प्रैक्टिशनर (GP) सेवाओं के लिए यात्रा कर रहे/रही हों
- किसी दूसरे राज्य या टेरेटरी अथवा Department of Veterans' Affairs सहित किसी पंजीकृत हितकारी संस्था से सहायता का क्लेम करने के पात्र हों (दूसरे राज्य या टेरेटरी की यात्रा सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए ***परिशिष्ट 3*** देखें)
- किसी मोटर वाहन दुर्घटना में चोटग्रस्त हुए थे और आपको Transport Accident Commission से बीमा प्राप्त है
- काम पर चोटग्रस्त हुए थे और आपको WorkSafe से बीमा प्राप्त है
- आपने किए जाने वाले उपचार के रोग या चोट के लिए क्षतिपूर्ति या अन्य भुगतान प्राप्त किए हैं या इनका क्लेम किया है।

यात्रा एवं आवासीय सहायता

यदि आप VPTAS के पात्रता मानदंडों को पूरा करते/करती हैं तो निम्नलिखित यात्रा तथा आवासीय आर्थिक सहायता लागू होगी:

- निजी वाहन के खर्चे 20 सेंट प्रति किलोमीटर की दर पर वापस किए जाते हैं।
- रोगियों और अनुमोदित एस्कॉर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति के पात्र है और यह रेल, बस, कोच या फेरी द्वारा यात्रा करने की स्थिति में ईकानमी फेयर (किराए) या प्रासंगिक रियायत फेयर (किराए) की लागत पर आधारित है।
- रोगियों और अनुमोदित एस्कॉर्ट के लिए ईकानमी फेयर (किराए) की लागत या प्रासंगिक छूट प्राप्त फेयर (किराए) की हवाई यात्रा उपलब्ध कराई जाती है यदि आपके घर से उपचार करने के स्थान की दूरी एक तरफ़ की ओर 350 किलोमीटर से अधिक हो और सबसे उचित अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाने के लिए वाणिज्यिक फ्लाइट का प्रयोग किया जाता हो।
- वाणिज्यिक आवास में रहने वाला रोगी और अनुमोदित एस्कॉर्ट, दोनों, अलग-अलग GST छोड़कर प्रति रात्रि अधिकतम $41.00 या GST सहित प्रति रात्रि अधिकतम $45.10 के पात्र हैं। यह आवासीय आर्थिक सहायता केवल उसी परिस्थिति में उपलब्ध है जब रोगी और अनुमोदित एस्कॉर्ट यात्रा सहायता के पात्र हों।
- वे रोगी जो अनुमोदित पेंशनर कन्सेशन (रियायत) कार्ड या हेल्थ केयर कार्ड के प्राथमिक कार्ड धारक न हों और जिनकी आयु 18 साल या इससे अधिक हो, उन्हें उपचार के प्रत्येक वर्ष के लिए पहले $100 का भुगतान करना होगा।

यात्रा तथा आवासीय आर्थिक सहायता की और अधिक विस्तृत सूची के लिए, इन दिशा-निर्देशों के ***'यात्रा सहायता'*** एवं '***आवासीय सहायता***' अनुभाग देखें।

क्लेम जमा कराना

VPTAS क्लेम फॉर्म कई डॉक्टरों की क्लीनिक, ग्रामीण एवं महानगरीय अस्पतालों और आपके Department of Health & Human Services के ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यालय पर उपलब्ध है। ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करने के लिए <http://go.vic.gov.au/P5Admf> देखें।

आप फॉर्म का लिंक <http://go.vic.gov.au/1epXMN> पर भी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

VPTAS फॉर्म जमा कराना

- संपूर्ण VPTAS क्लेम फॉर्म अनुमोदित चिकित्सीय विशेषज्ञ अपॉइंटमेंट के 12 महीने के अंदर-अंदर जमा कराए जाने चाहिए।
- क्लेम जमा करने की तिथि वह तिथि होती है जब VPTAS कार्यालय को VPTAS क्लेम फॉर्म मिलता है। इस 12 महीने की अवधि के बाहर की गई यात्रा VPTAS सहायता के लिए पात्र नहीं है।
- यात्रा और आवासीय ज़रुरत के लिए मूल रसीदें या टैक्स इन्वॉइस आपके क्लेम फॉर्म के साथ जमा कराई जानी चाहिए। पेट्रोल की रसीदों की ज़रुरत नहीं है।
- आपके लिए यह भी ज़रूरी है कि आप क्लेम फॉर्म पर यात्रा और आवास से सम्बन्धित डॉयरी का विवरण दें।
- आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान की गई सूचना सही और उचित है और आपको क्लेम फॉर्म के Section D (अनुभाग डी) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- आप यह निवेदन कर सकते/सकती हैं कि आपका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (EFT) या चेक द्वारा भेजा जाए।
- चिकित्सा विशेषज्ञ के विवरण क्लेम फॉर्म पर सही-सही भरे जाने चाहिए और विशेषज्ञ या उनके प्राधिकृत अधिकारी को क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- हम यह सुझाव देते हैं कि आप अपने खुद के रिकॉर्ड्स के लिए अपने भरे हुए ***VPTAS क्लेम फॉर्म*** सहित सभी रसीदों व दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी अपने पास रखें।

VPTAS क्लेम फॉर्म का प्रसंस्करण छ: से आठ सप्ताह में किया जाएगा।

अधिक जानकारी

कृपया ये दिशा-निर्देश पढ़ें और इन दिशा-निर्देशों के ‘***पात्रता के विस्तृत मानदंड***’ अनुभाग में प्रत्येक पात्रता मानदंड के अधीन दी गई उदाहरणें पढ़ें। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया VPTAS कार्यालय से निम्न माध्यमों का प्रयोग करके संपर्क करें:

PO Box 712
Ballarat VIC 3353

या

टेलीफोन : 1300 737 073
ई-मेल: vptas@dhhs.vic.gov.au
वेबसाइट: <http://go.vic.gov.au/1epXMN>

योजना के सिद्धांत

- इस योजना का उद्देश्य उन विक्टोरियाई लोगों को अपरिहार्य व्ययों के लिए आर्थिक सहायता देना है जिनके पास किसी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ से अत्यावश्यक चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाएँ प्राप्त करने के लिए लम्बी दूरी की यात्रा करने के अलावा कोई और विकल्प न हो।
- योजना का उद्देश्य विशेषज्ञों का चयन करने में मदद करना नहीं है। प्रदान की जाने वाली देखरेख की गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता किए बिना रोगियों का उपचार उनके घर से जितना संभव हो सके उतने नज़दीक स्थान पर किया जाना चाहिए। यदि कोई रोगी अपनी सबसे नज़दीकी विशेषज्ञ सेवा से दूर यात्रा करने का फैसला लेता है तो योजना यात्रा के अतिरिक्त खर्च में सहायता नहीं करेगी।
- योजना ग्रामीण विक्टोरियाई लोगों, स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं और चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाओं की सहायता करती है।
- पात्रता के संपूर्ण मानदंडों तथा सब्सिडी की दरों सहित योजना से सम्बन्धित जानकारी सभी विक्टोरियाई लोगों को सुलभ फॉर्मेट में उपलब्ध होनी चाहिए।
- योजना का प्रबंध VPTAS के दिशा-निर्देशों के सुसंगत आवेदन के आधार पर उचित रूप से किया जाता है।
- योजना ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ है जिनके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर नहीं है।
- सब्सिडी की दरों की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।
- योजना स्थापित सेवा स्तरमानकों के अनुरूप होनी चाहिए (नीचे देखें)।

सेवा के स्तरमानक

क्लेम का प्रसंस्करण करते समय कार्यालय का लक्ष्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का होना चाहिए:

- किसी क्लेम को नामंज़ूर करने से पहले, प्रदान की जाने वाली पूरी जानकारी को सत्यापित और स्पष्ट किया जाएगा।
- क्लेम करने वाले व्यक्ति किसी भी समय अपने क्लेम की स्थिति की जांच करने में समर्थ होंगे।
- क्लेम करने वाले व्यक्तियों के पास निष्पक्ष, अपक्षपाती और स्पष्ट समीक्षा प्रक्रिया तक पहुँच प्राप्त है।
- शिकायत और समीक्षा के निवेदनों पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी और उपभोक्ताओं को लिखित रूप में परिणामों की सूचना दी जाएगी।
- क्लेम प्राप्त होने के छः से आठ सप्ताहों के बीच, सफल क्लेमों के लिए भुगतान किए जाएंगे, या क्लेम के अयोग्य होने की स्थिति में क्लेम करने वाले व्यक्तियों को इसकी सूचना दी जाएगी।
- गुप्तता एवं गोपनीयता का सम्मान किया और इसे बनाए रखे जाता है।

पात्रता के विस्तृत मानदंड

VPTAS से सहायता के पात्र होने के लिए, यह ज़रूरी है कि आप निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करते/करती हों।

स्थान

यह आवश्यक है कि आप Department of Health & Human Services के ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवास करते/करती हों। क्षेत्रीय नक्शे के लिए ***परिशिष्ट 1*** में चित्र 1 देखें।

यदि आप महानगरीय क्षेत्र (***परिशिष्ट 2***) में निवास करते/करती हैं और आपको कोई ऐसा उपचार कराने के लिए किसी दूसरे राज्य में अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत है जो विक्टोरिया में उपलब्ध न हो, तो हो सकता है कि आप VPTAS सहायता के पात्र हों। अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ या रेफर करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ को लिखित रूप में यह पुष्टि देनी चाहिए कि वह आवश्यक सेवा विक्टोरिया में उपलब्ध नहीं है।

दूसरे ऑस्ट्रेलियाई राज्यों या टेरेटरियों में रहने वाले उन लिविंग ऑर्गन डोनर्स के लिए भी VPTAS सहायता उपलब्ध है जो किसी विक्टोरियाई निवासी के लिए ट्रांसप्लांट (प्रत्यारोपण) कार्यविधि में भाग लेने के लिए विक्टोरिया आते हैं। और अधिक जानकारी के लिए '***ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर***' अनुभाग देखें।

उदाहरणें

Mildura में रहने वाले रोगी को विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए Adelaide भेजा जाता है क्योंकि इस विशेष उपचार को प्राप्त करने यह उनके लिए सबसे नज़दीकी स्थान है। *यह रोगी VPTAS सहायता का पात्र है।*

Prahran में रहने वाला कोई रोगी विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए Sydney जाता है। *VPTAS सहायता के पात्र होने के लिए यह ज़रूरी है कि Sydney में उपचार करने वाला विशेषज्ञ या विक्टोरिया में रेफर करने वाला विशेषज्ञ लिखित रूप में यह पुष्टि करे कि यह उपचार विक्टोरिया में उपलब्ध नहीं है।*

Mornington Peninsula में Rye में रहने वाले रोगी को विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए St Vincent अस्पताल भेजा जाता है। *यह रोगी VPTAS सहायता का पात्र नहीं है क्योंकि वह Department of Health & Human Services के ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवास नहीं करता है।*

निवास स्थान

VPTAS सहायता का क्लेम करने के पात्र होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, परमानेंट रेज़ीडेन्ट या रिफ्यूज़ी हों, रेफरल दिए जाने और अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाएँ प्राप्त करते समय विक्टोरिया में रहते/रहती हों।

आपके 'निवास स्थान' का निर्धारण मतदाता सूची में आपके पते का प्रयोग करके किया जाता है। अन्य दस्तावेज़ जो यह पुष्टि कर सकते हैं कि आप कहाँ निवास करते हैं, उनमें आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, हेल्थ केयर कार्ड या जनोपयोगी सेवा का कोई बिल (जैसे कि गैस, बिजली या पानी का बिल) शामिल है।

सीमावर्ती या संयुक्त कस्बों (जैसे कि Albury Wodonga) के मामलों में, VPTAS के अधीन सहायता केवल उसी परिस्थिति में उपलब्ध होगी यदि आप विक्टोरियाई सीमा क्षेत्र में निवास करते/करती हैं। न्यू साउथ वेल्स या साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को अपने खुद के राज्य में संचालित योजना में आवेदन करना चाहिए। इन योजनाओं के संपर्क विवरणों के लिए ***परिशिष्ट 3*** देखें।

यायावर श्रमिकों (वे श्रमिक जो काम के सिलसिले में यात्रा करते रहते हैं) के मामले में, आपका निवास स्थान वह है जहाँ आप अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाओं के शुरू होने से सम्बन्धित प्रासंगिक यात्रा करते समय रह रहे थे। यदि आपका कोई पक्का पता नहीं है, तो सहायता के पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसका प्रमाण दिखाएँ। यह कल्याण या सामाजिक कार्यकर्ता, उपचार करने वाले स्थान के स्वास्थ्य व्यवसायी या आपके जनरल प्रेक्टिस क्लिनिक द्वारा लिखा पत्र हो सकता है जो यह पुष्टि करे कि आपके द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करते समय आपका कोई पक्का पता नहीं था।

उदाहरण

किसी बच्चे को रॉयल चिल्ड्रन्स अस्पताल पर बार-बार उपचार कराने जाने की ज़रूरत है। बच्चे के माता-पिता अलग-अलग शहरों में रहते हैं और अभिभावकीय जिम्मेदारियों को आपस में बांटते हैं। *माता व पिता दोनों अपने-अपने निवास स्थान से शुरू की जाने वाली यात्राओं के लिए अपनी संतान के लिए अलग-अलग VPTAS क्लेम फॉर्म जमा करा सकते हैं। संतान का निवास स्थान वह स्थान लिखा जाना चाहिए जहाँ से प्रत्येक उपचार के लिए यात्रा शुरू हुई थी।*

दूरी

सहायता के पात्र होने के लिए यह ज़रूरी है कि आपके पास अपने निवास स्थान से सबसे उचित अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा तक एक तरफ़ की 100 किलोमीटर या इससे अधिक की यात्रा करने के अलावा कोई और विकल्प न हो।

यदि आपको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और परिवार के सदस्यों या देखरेखकर्ताओं को आपसे मिलने के लिए यात्रा करके आना पड़ता है, तो यह यात्रा सहायता की पात्र नहीं है।

ब्लॉक ट्रीटमेंट

यदि आप एक या एक से अधिक सप्ताहों के लिए औसतन 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे/रही हैं तो भी आप सहायता के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। इसे 'ब्लॉक ट्रीटमेंट' कहते हैं। आप रोज़ाना यात्रा करने या किसी आवास-स्थान पर रहने का फैसला ले सकते/सकती हैं; दोनों परिस्थितियों मे, आपको आपके स्थायी निवास स्थान से दोनों ओर की यात्रा के बराबर VPTAS यात्रा सहायता का भुगतान केवल उन्हीं दिनों के लिए किया जाएगा जब आपने अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा में भाग लिया हो।

ब्लॉक ट्रीटमेंट केवल रोगी की यात्रा के लिए है। यदि आपको अस्पताल में भर्ती किया जाता है और परिवार के सदस्य या देखरेखकर्ता आपसे मिलने आने या आपके साथ परामर्शों व उपचारों में भाग लेने आने के लिए एक या एक से अधिक सप्ताहों के लिए औसतन 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक ट्रीटमेंट लागू नहीं होती है।

यात्रा की दूरी का हिसाब लगाना

आपके स्थायी निवास और अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा के बीच सबसे सीधे और सामान्य सतही मार्ग की दूरी तय करने के लिए, VPTAS कार्यालय *Google maps, Get Directions* का प्रयोग करता है। इससे यह निर्धारण होता है कि क्या न्यूनतम दूरी का मानदंड पूरा किया जाता है या नहीं। आप हमारी वेबसाइट <http://go.vic.gov.au/1epXMN> पर दिए लिंक्स के माध्यम से भी Google maps तक पहुँच प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यात्रा की दूरी का हिसाब लगाने के लिए सबसे सीधे और सामान्य सतही मार्ग से अलग किसी मार्ग को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उदाहरणें

35 Armstrong Street South, Ballarat पर रहने वाले रोगी की मेलबोर्न में Royal Children's Hospital पर अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा के साथ अपॉइंटमेंट है। वे एक तरफ़ 116 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करेंगे। *यह रोगी 232 किमी की दोनों तरफ़ के सफ़र के लिए VPTAS यात्रा सहायता का पात्र है।*

ब्लॉक ट्रीटमेंट

Woodend में रहने वाला रोगी जो मेलबोर्न में Royal Children's Hospital पर अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त करने के लिए अपने घर से एक तरफ़ की 67.5 किमी की यात्रा करता है।

किसी एक सप्ताह में उन्हें तीन अपॉइंटमेंट्स में जाने की ज़रूरत है, इसलिए तीन वापसी यात्राओं में वे कुल 405 किमी की यात्रा करते हैं। *यह रोगी ब्लॉक ट्रीटमेंट VPTAS यात्रा मानदंड के अधीन पात्र नहीं है।*

किसी अन्य सप्ताह में वे किसी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ चार अपॉइंटमेंट्स में भाग लेते हैं और उनकी कुल यात्रा 540 किमी की होती है। *एक सप्ताह में की जाने वाली यात्रा की इस अवधि के लिए, यह रोगी ब्लॉक ट्रीटमेंट VPTAS यात्रा मानदंड के अधीन पात्र है।*

अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ

योजना के लिए पात्र होने हेतु यह ज़रूरी है कि आपको सबसे उचित अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ को रेफर किया जाए। अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ *स्वास्थ्य बीमा विनियम 1975* (*Health Insurance Regulations 1975*) की अनुसूची *4* के अनुसार *स्वास्थ्य बीमा अधिनियम 1973* (कॉमनवेल्थ) *Health Insurance Act 1973* (Cwlth) के अधीन किसी खास विशेषज्ञता में Medicare Australia के साथ एक विशेषज्ञ के तौर पर पंजीकृत मेडिकल प्रेक्टिशनर होता है अथवा:

- कोई ऐसा मेडिकल प्रेक्टिशनर जो किसी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ की निगरानी में किसी अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाओं प्रदान करता हो
- किसी अस्पताल के ऑपरेटिंग थिएटर में मौखिक सर्जरी के प्रकार की विशेषज्ञ डेन्टल सेवाएँ प्रदान करने वाला कोई पंजीकृत डेन्टल प्रेक्टिशनर, इसमें Medicare के क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलट के अधीन मान्यता-प्राप्त ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन और पंजीकृत ओथडोटिस शामिल हैं, अथवा
- डेन्टल हेल्थ सर्विसिज़ विक्टोरिया के साथ पंजीकृत डेन्टल प्रेक्टिशनर जो Royal Melbourne Dental Hospital में इसकी स्पेशलिस्ट युनिट सूची में उल्लिखित तरीके के अनुसार सेवाएँ प्रदान कर रहा हो। सेवाओं की सूची के लिए ***परिशिष्ट 4*** देखें।

उदाहरण

किसी रोगी को फिजियोथैरेपी उपचार के लिए रेफर किया जाता है और उसे अपॉइंटमेंट्स में भाग लेने के लिए दोनों दिशाओं में 120 किमी की यात्रा करने की ज़रूरत है।

फिजियोथैरेपिस्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर नहीं होते हैं इसलिए वे अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हैं। यह यात्रा VPTAS सहायता के लिए पात्र नहीं है।

अनुमोदित उपचार

निम्नलिखित उपचार और सेवाओं को भी VPTAS सहायता के लिए अनुमोदित किया जाता है:

- हाइपरबेरिक उपचार
- लिम्फोडीमा क्लिनिक, Mercy Hospital, Melbourne पर लिम्फोडीमा उपचार
- Royal Children's Hospital, Monash Children's Hospital (मोनाश मेडिकल सेंटर) और Women's and Children's Hospital (एडिलेड) पर किसी पंजीकृत डेन्टल प्रेक्टिशनर द्वारा प्रदान की जाने वाली बाल-चिकित्सा सम्बन्धी डेन्टल सेवाएँ।

नैदानिक परीक्षणों में भाग लेने वाले रोगी VPTAS सहायता के पात्र नहीं हैं। नैदानिक परीक्षणों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए <www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial> देखें।

जैसे-जैसे अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नए उपचार व सेवाएँ उपलब्ध होंगी, वैसे-वैसे VPTAS दिशा-निर्देशों को अपडेट करके इन्हें इनमें शामिल किया जाएगा।

उदाहरण

कोई रोगी किसी ऐसी नई दवा से उपचार प्राप्त करने के लिए Horsham में अपने घर से Sydney तक की यात्रा करता है, इस नई दवा का परीक्षण किसी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उपचार करने वाला विशेषज्ञ यह पुष्टि करता है कि यह विशेष नैदानिक परीक्षण विक्टोरिया में उपलब्ध नहीं है।

यह रोगी नैदानिक परीक्षण में भाग ले रहा है इसलिए वह VPTAS सहायता का पात्र नहीं है।

सबसे अधिक उचित अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ

रेफरल करते समय, GP से यह उम्मीद की जाती है कि वह आपकी विशिष्ट चिकित्सीय ज़रूरतों पर ग़ौर करे और आपके निवास स्थान से सबसे नज़दीकी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा को आपको रेफर करके यात्रा करने में लगने वाले समय को कम से कम करे।

उन महानगरीय और ग्रामीण विक्टोरियाई निवासियों को सहायता प्रदान की जा सकती है जिन्हें किसी दूसरे राज्य की अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा को इसलिए रेफर किया गया हो क्योंकि वह सेवा विक्टोरिया में उपलब्ध नहीं है या वह ही सबसे नज़दीकी स्थान हो। अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ या रेफर करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी चाहिए कि अपेक्षित सेवा विक्टोरिया में प्रदान नहीं की जा सकती है।

यदि आप VPTAS पात्रता के सभी दूसरे मानदंडों को पूरा करते/करती हैं परन्तु आप सबसे नज़दीकी विशेषज्ञ की बजाए कहीं और यात्रा करने का फैसला लेते/लेती हैं, तो भुगतान केवल सबसे नज़दीकी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ तक यात्रा करने की उचित दर के लिए किया जाएगा।

उदाहरण

Warrnambool में रहने वाले किसी रोगी ने पूर्व में किसी स्थानीय ओर्थपेडीक सर्जन से उपचार कराया था। यह रोगी अब Mallacoota में रहता है और उसे फिर से किसी ओर्थपेडीक सर्जन को दिखाने की ज़रूरत है। वे उपचार के लिए Warrnambool के ओर्थपेडीक सर्जन के पास वापस जाने का फैसला लेते हैं।

यह रोगी अपनी सबसे नज़दीकी विशेषज्ञ सेवा से दूर यात्रा करने का फैसला ले रहा है। वे केवल Mallacoota में अपने निवास स्थान से सबसे नज़दीकी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा तक यात्रा के लिए ही VPTAS सहायता के पात्र होंगे (यदि यह यात्रा एक तरफ़ 100 किलोमीटर या इससे अधिक की हो)।

रोगी एस्कॉर्ट

आपकी अपॉइंटमेंट में आपके साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति (इसे 'एस्कॉर्ट [escort]' कहते हैं) भी आर्थिक सहायता प्राप्त यात्रा और आवासीय खर्च का पात्र हो सकता है। एस्कॉर्ट उपचार के दौरान आपके परिवहन और आवासीय खर्च के लिए जिम्मेदार होता है। VPTAS के अधीन सहायता के लिए केवल एक एस्कॉर्ट ही पात्र है, बशर्ते कि रोगी की आयु 18 साल से कम हो।

यदि यात्रा करने वाला रोगी कोई नवजात शिशु (छ: महीने की आयु तक का) है तो उनके साथ दो एस्कॉर्ट्स जा सकते हैं। छ: महीने से लेकर 18 साल से कम आयु वाले रोगी उस परिस्थिति में दो एस्कॉर्ट्स (माता-पिता, अभिभावक या परिवार के सदस्य) के पात्र होते हैं जब रोगी को दो या इससे अधिक लगातार दिनों के लिए किसी अस्पताल में उपचार कराने या भर्ती होने की ज़रूरत हो।

यह आवश्यक है कि अनुमोदित एस्कॉर्ट:

- सहायता प्रदान करने में समर्थ हो और आपकी यात्रा तथा आवासीय ज़रूरतों के लिए जिम्मेदार हो
- 18 साल या इससे अधिक की आयु का हो
- *VPTAS* ***क्लेम फॉर्म*** के अनुभाग सी में अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अत्यावश्यक माना जाए
- आपकी अपॉइंटमेंट में आने या जाने या दोनों में आपके साथ जाए।

यदि आपको उपचार मिलने के समय एस्कॉर्ट वहाँ रूकता नहीं है परन्तु उसके द्वारा आपको घर से लाना व वापस घर ले जाना ज़रूरी है, तो हो सकता है कि आपके अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वह दो वापसी यात्राओं के लिए क्लेम करने का पात्र हो। इसमें आपको उपचार स्थल पर ले जाने के बाद वाणिज्यिक आवास स्थान पर बिताई रातों और आपको वापस घर ले जाने से पहले वाणिज्यिक आवास स्थान पर बिताई रातों के लिए आवासीय आर्थिक सहायता शामिल है। आपके द्वारा उपचार प्राप्त किए जाने के दौरान एस्कॉर्ट द्वारा की जाने वाली कोई अन्य यात्राएँ (घर वापस जाने को शामिल कर) VPTAS सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

यदि आप VPTAS सहायता के पात्र नहीं हैं तो आपका एस्कॉर्ट भी VPTAS सहायता का पात्र नहीं होगा।

उदाहरणें

Department of Veterans' Affairs गोल्ड कार्ड धारक कोई रोगी विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए Swan Hill से Melbourne की यात्रा करता है और इस यात्रा में उसका पुत्र उसका एस्कॉर्ट है।

क्योंकि Department of Veterans' Affairs गोल्ड कार्ड धारक के रूप में रोगी Department of Veterans' Affairs से सहायता क्लेम करने में सक्षम है, इसलिए वह VPTAS के लिए पात्र नहीं है। क्योंकि रोगी VPTAS के लिए पात्र नहीं है इसलिए उसका पुत्र भी इसका पात्र नहीं है।

कोई वृद्ध रोगी अपनी पत्नी के साथ मेलबोर्न में अपॉइंटमेंट में भाग लेने के लिए एक तरफ़ की 200 किमी की यात्रा करता है। उनकी पुत्री उनके साथ पत्नी की देखरेखकर्ता के रूप में और गाड़ी चलाने के लिए यात्रा करती है।

रोगी VPTAS सहायता का पात्र है। ज़रूरत पड़ने पर, केवल एक व्यक्ति ही एस्कॉर्ट और VPTAS यात्रा एवं आवासीय सहायता का पात्र हो सकता है – पत्नी या पुत्री। एस्कॉर्ट के तौर पर पत्नी और एस्कॉर्ट की देखरेखकर्ता के तौर पर पुत्री के लिए VPTAS सहायता लागू नहीं होती है।

नवजात शिशु के लिए एस्कॉर्ट

नवजात शिशु (छः महीने की आयु तक का) के साथ दो एस्कॉर्ट होने की अनुमति होती है। एक ही गर्भावस्था में उत्पन्न दो या दो से अधिक शिशुओं के जन्म लेने की स्थिति में, दूसरा और उसके बाद का नवजात शिशु केवल एक अतिरिक्त एस्कॉर्ट के लिए पात्र होता है।

उन मामलों में जहाँ माता और नवजात शिशु को एक साथ अस्पताल में भर्ती किया जाता है, वहाँ माता को नवजात शिशु का एक एस्कॉर्ट माना जाता है। यदि माता को कोई चिकित्सीय समस्या है और वह अपने नवजात शिशु की देखरेख करने में असमर्थ है, तो माता और नवजात शिशु के अलग-अलग एस्कॉर्ट को सकते हैं। अर्थात, माता के लिए एस्कॉर्ट के रूप में एक व्यक्ति और नवजात शिशु के लिए दो तक एस्कॉर्ट। अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी चाहिए कि माता अपने नवजात शिशु के लिए ज़रूरी देखरेख प्रदान करने में असमर्थ है।

उदाहरण

किसी नवजात शिशु को उसके जन्म के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती किया जाता है, हो सकता है कि माता (एस्कॉर्ट 1) खुद अभी भी अस्पताल में भर्ती हो और पिता (एस्कॉर्ट 2) पास के किसी वाणिज्यिक आवास स्थान पर हो। डिस्चार्ज होने पर माता वाणिज्यिक आवास स्थान में पिता के पास चली जाती है, ताकि वह शिशु के करीब रह सके। *माता व पिता दोनों आवासीय आर्थिक सहायता के पात्र हैं।*

यदि नवजात शिशु के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, पिता एक या एक से अधिक बार घर वापस आता है, तो *ये यात्राएँ VPTAS सहायता की पात्र नहीं होंगी।*

जब शिशु को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है और पिता शिशु व माता को घर वापस ले जाने के लिए यात्रा करके वहाँ आता है, तो *यह यात्रा VPTAS सहायता के लिए पात्र होती है।*

पारिवारिक सहायता

यदि अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ यह आवश्यक बनाता है कि परिवार के सगे सदस्य (माता-पिता या अभिभावक, पार्टनर और/या बच्चे) चिकित्सा उपचार या अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ परामर्श सेवा अपॉइंटमेंट में भाग लें तो हो सकता है कि आप पारिवारिक सहायता के पात्र हों।

पारिवारिक सहायता में वह परिस्थितियाँ शामिल नहीं हैं जहाँ अनुमोदित एस्कॉर्ट को शामिल कर परिवार के सदस्य:

- आपसे मुलाकात करने के लिए यात्रा करते हैं
- आपके द्वारा अनुरोध किए गए कपड़े, दवाईयाँ या वस्तुएँ लाने के लिए यात्रा करते हैं
- अपने या आपके घर तथा उपचार स्थल के बीच यात्रा करते हैं ताकि रख-रखाव किया जा सके, परिवार के दूसरे सदस्यों व पालतू पशुओं की देखरेख करने या काम पर वापस जाने के लिए यात्रा करते हैं।

परिवार के सगे सदस्यों की सहभागिता को आवश्यक बनाने वाले अपॉइंटमेंट विवरण की पुष्टि लिखित रूप में की जानी चाहिए और इनपर अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

उदाहरण

Yarram में रहने वाले किसी रोगी की Royal Children's Hospital पर किसी मनोरोग चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है। उसके मनोरग चिकित्सक ने लिखित रूप में रोगी के परिवार के उन सदस्यों से मिलने की अपॉइंटमेंट का अनुरोध किया है जो रोगी के साथ रहते हैं। रोगी के माता-पिता, भाई, बहन और दादी या नानी अपॉइंटमेंट में उसके साथ होंगे। *अपॉइंटमेंट में भाग लेने के लिए परिवार की यात्रा और आवास VPTAS सहायता के पात्र हैं।*

'*फैमिली स्पोर्ट (पारिवारिक सहायता)*' दस्तावेज़ की उदाहरण के लिए ***परिशिष्ट 5*** देखें।

ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर (प्रत्यारोपण और जीवित दाता)

ट्रांसप्लांट कराने – उदाहरणत: कोई अंग (ऑर्गन) लेने या देने - के लिए यात्रा करने की आवश्यकता वाले ग्रामीण विक्टोरियाई लोग VPTAS सहायता के पात्र होते हैं।

VPTAS सहायता दूसरे ऑस्ट्रेलियाई राज्यों या टेरेटरिज़ के उन लिविंग ऑर्गन डोनर्स के लिए भी उपलब्ध है जो ट्रांसप्लांट कार्यविधि में भाग लेने के लिए विक्टोरिया आते हैं और जहाँ प्राप्तकर्ता विक्टोरियाई निवासी होता है। इसमें डोनर स्क्रीनिंग, विशेषज्ञ आंकलन और ट्रांसप्लांट कार्यविधियों के लिए की जाने वाली यात्रा शामिल है।

अंग दान करने के लिए किसी ऐसे दूसरे राज्यों या टेरेटरिज़ में यात्रा करने वाले विक्टोरियाई लोग, जहाँ डोनर उस दूसरे राज्य या टेरेटरी की रोगी सहायता योजना से मदद के लिए पात्र हो, VPTAS सहायता के पात्र नहीं होते हैं। अन्य राज्यों या टेरेटरिज़ में रोगी यात्रा सहायता के बारे में जानकारी के लिए, **परिशिष्ट *3*** देखें।

मृतक लोग

यदि अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त करने के लिए यात्रा करते समय या इसे प्राप्त करते हुए रोगी का देहांत हो जाता है, तो अनुमोदित एस्कॉर्ट घर वापस जाने की यात्रा के लिए VPTAS सहायता का पात्र है।

रोगी का देहांत होने के पश्चात मृतक व्यक्ति या अनुमोदित एस्कॉर्ट के लिए आवासीय खर्च क्लेम करने योग्य नहीं है, अनुमोदित एस्कॉर्ट के लिए एक अतिरिक्त रात के आवास खर्च को छोड़कर। यदि मृतक व्यक्ति का देहांत होने से पहले उसकी यात्रा और आवासीय सेवाओं के लिए क्लेम जमा कराया जाता है, तो पात्र क्लेम उस व्यक्ति की एस्टेट (संपदा) को किए जाएंगे। एस्कॉर्ट का भुगतान फिर भी सीधे एस्कॉर्ट को किया जाएगा यदि VPTAS क्लेम फॉर्म पर ऐसा किए जाने का अनुरोध किया गया हो तो।

मृतक व्यक्ति की एस्टेट (संपदा) व्यक्ति के मृतक शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने के खर्च का क्लेम करने के लिए पात्र नहीं होती है।

कोई VPTAS प्रतिपूर्ति भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा और यह मृतक दावेदार की एस्टेट को देय होगा, अनुमोदित एस्कॉर्ट के लिए आर्थिक सहायताओं के अलावा।

यात्रा सहायता

परिवहन के साधन

गाड़ी से यात्रा

यदि निजी गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खर्च की प्रतिपूर्ति 20 सेंट्स प्रति किलोमीटर की दर पर की जाती है, तथा इस प्रतिपूर्ति में गाड़ी के इंजन की क्षमता या इसमें यात्रा करने वाले लोगों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह सब्सिडी दर Royal Automobile Club of Victoria (RACV) द्वारा निर्धारित गाड़ी के औसतन संचालन खर्च पर आधारित है और इसमें तेल, टायर, सर्विस और रख-रखाव शामिल है।

उदाहरण

कोई रोगी अपॉइंटमेंट के लिए 123 किमी की दूरी पर Creswick में स्थित अपने घर से Royal Melbourne Hospital तक गाड़ी से यात्रा करता है। वे उसी दिन वापस घर भी आ जाते हैं।

कुल यात्रा: 246 किमी

VPTAS यात्रा सहायता: 246 किमी × $0.20 = $49.20

पब्लिक ट्रांसपोर्ट (जन परिवहन)

यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते/करती हैं, तो आप और अनुमोदित एस्कॉर्ट (यदि लागू हो तो) इकानमी टिकट की लागत पर आधारित आपके किराए या रेल, बस, कोच या फेरी में यात्रा करने की स्थिति में प्रासंगिक कन्सेशन किराए के प्रतिपूर्ति भुगतान के पात्र होते हैं। मूल रसीदें, myki स्टेटमेंट्स और/या टिकट क्लेम फॉर्म के साथ लगाई जानी चाहिए, यदि फ्री ट्रेवल वाउचर प्रयोग किए गए हैं तो उन्हें भी इनमें शामिल किया जाना चाहिए। नि:शुल्क यात्रा के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। यदि आप फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का फैसला लेते/लेती हैं, तो समान इकानमी क्लास किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

Myki

Myki स्मार्ट कार्ड मेलबोर्न की ट्रेन, ट्रेम व बसों, Seymour, Ballarat, Bendigo, Geelong, the Latrobe Valley व Warragul में कम्यूटर ट्रेन सेवाओं और बसों में यात्रा करने की अनुमति देता है। और अधिक जानकारी के लिए Public Transport Victoria की वेबसाइट <www.ptv.vic.gov.au> देखें या रोज़ाना सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच 1800 800 007 पर टेलीफोन करें।

Public Transport Victoria के साथ अपने को रजिस्टर करने से आप ऑनलाइन अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देख सकते/सकती हैं और यात्रा की टैक्स इनवॉइस स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते/सकती हैं, जिसे आपके VPTAS क्लेम फॉर्म के साथ शामिल किया जा सकता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में Myki प्रतिपूर्ति भुगतान नहीं किए जा सकते हैं:

- यदि केवल myki टॉप अपस या कार्ड कन्टेंट रिपोर्ट की रसीद ही प्रदान की गई हो
- यदि यात्रा की myki स्टेटमेंट यह दर्शाती हो कि myki को सही तरह से टच नहीं किया गया था, और अतिरिक्त किराये का शुल्क लिया गया है
- एस्कॉर्ट की यात्रा की myki स्टेटमेंट प्रदान नहीं कराई गई है और एस्कॉर्ट के कन्सेशन कार्ड धारक होने की स्थिति अज्ञात है।

इन परिस्थितियों में, यदि लागू हो तो महानगरीय और क्षेत्रीय यात्रा के लिए Public Transport Victoria के myki फेयर कैलकुलेटरों का प्रयोग करके न्यूनतम यात्रा किराए की राशि का हिसाब लगाया जाएगा।

myki के बारे में और अधिक जानकारी के लिए Public Transport Victoria की वेबसाइट <www.ptv.vic.gov.au> देखें या 1800 800 007 पर फोन करें।

हवाई यात्रा

हवाई यात्रा के लिए VPTAS सहायता केवल तभी प्रदान की जाती है यदि आपके घर से उपचार स्थल तक एक तरफ़ की ओर की यात्रा 350 किलोमीटर से अधिक की हो और सबसे उचित अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ तक यात्रा करके जाने के लिए वाणिज्यिक फ्लाइट का प्रयोग किया जाता हो। हवाई जहाज से यात्रा करते समय, आप और आपका(के) अनुमोदित एस्कॉर्ट, यदि लागू हो तो, इकानमी किराए या प्रासंगिक छूट-प्राप्त किराए की लागत के आधार पर किराए की प्रतिपूर्ति के पात्र होते हैं।

यदि आप फर्स्ट या बिजनस क्लास में सफर करने का फैसला लेते/लेती हैं, तो इकानमी दर पर प्रतिपूर्ति भुगतान दिया जाएगा। हवाई यात्रा के क्लेम की प्रतिपूर्ति केवल उसी परिस्थिति में की जाएगी जब इनवॉइस, ई-टिकट रसीद की पुष्टि या विस्तारपूर्वक खर्चा दर्शाने वाली आइटिनरेरी प्रदान की जाती है। केवल बोर्डिंग पास पर्याप्त जानकारी नहीं देते हैं।

यदि फ्रीक्वेन्ट फ्लायर या इसके समान किसी योजना के भाग के रूप में, अथवा चार्टर फ्लाइट का प्रयोग करके हवाई यात्रा की जाती है तो VPTAS सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

यदि आप हवाई यात्रा करने का फैसला लेते/लेती हैं, और फ्लाइट का खर्च दर्शाने वाली रसीद, इनवॉइस या ई-टिकट पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिपूर्ति भुगतान प्रति किलोमीटर फ्यूल सब्सिडी दर पर किया जा सकता है।

उदाहरण

Port Fairy में रहने वाला कोई रोगी अपने घर से Portland Airport तक 80 किमी गाड़ी चलाकर आता है। फिर वह Melbourne तक हवाई यात्रा करता है और अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा के लिए टैक्सी लेकर Royal Melbourne Hospital तक आता है। इसी प्रकार वह घर वापस जाता है। Port Fairy मेलबोर्न से 289 किमी की दूरी पर है।

रोगी को उसके घर से Royal Melbourne Hospital तक सड़क मार्ग से वापसी यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर फ्यूल सब्सिडी दर पर प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा क्योंकि वह अपने उपचार स्थल से 350 किलोमीटर से कम की दूरी पर रहता है।

टैक्सी से यात्रा

टैक्सी एक मीटरयुक्त गाड़ी होती है जिसे इशारा करके अपने पास बुलाया जा सकता है या इसे पहले से बुक किया जा सकता है। टैक्सी के किरायों की प्रतिपूर्ति केवल उसी परिस्थिति में की जाएगी यदि आपके पास अपने स्थानी निवास स्थान से सबसे नज़दीकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक जाने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने सबसे नज़दीकी व सबसे उचित अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ तक जाने के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन उपलब्ध न हो।

हालांकि टैक्सी के समान, हायर कार केवल पहले से बुक की जाने वाली सेवा होता है, पर इसे स्ट्रीट से इशारा करके नहीं रोका जा सकता है या इसकी सेवा टैक्सी रैंक से प्राप्त नहीं की जा सकती है। हायर कार में मीटर नहीं लगा होता है और सफर की लागत का समझौता बुकिंग करते समय आपके साथ किया जाता है। यदि आप हायर कार सेवा का प्रयोग करके विक्टोरिया में यात्रा करने का फैसला लेते/लेती हैं और इसकी रसीद प्रदान की जाती है, तो VPTAS कार्यालय टैक्सी के समान किराए की राशि का निर्धारण करने के लिए Taxi Services Commission के Fare Estimator का प्रयोग करेगा। टैक्सी के अनुमानित किराए की राशि या फायर कार की राशि में से जो राशि कम होगी, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि रसीद पर कोई समय न लिखा हो, तो किराए का अनुमान लगाने के लिए दोपहर के समय का प्रयोग किया जाएगा। Taxi Services Commission का Fare Estimator ऑनलाइन <www.taxi.vic.gov.au/passengers/taxi-passengers/taxi-fares/taxi-fare-estimator> पर उपलब्ध है।

टैक्सी में की गई सभी यात्राओं की मूल रसीदें क्लेम फॉर्म के साथ शामिल की जानी चाहिए। टैक्सी यात्रा की रसीद में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए: टैक्सी ID, ड्राइवर का ID, यात्रा की तिथि और किराए की राशि। यदि आप टैक्सी से यात्रा करने का फैसला करते/करती हैं, और या तो रसीद प्रदान नहीं की जाती है या फिर इसमें अपर्याप्त जानकारी है, अथवा हायर कार का प्रयोग विक्टोरिया से बाहर किया जाता है, तो प्रतिपूर्ति भुगतान प्रति किलोमीटर फ्यूल सब्सिडी दर पर किया जा सकता है।

उदाहरण

Warrnambool से Geelong तक यात्रा करने वाला रोगी Warrnambool में ट्रेन स्टेशन तक टैक्सी लेकर जाता है, फिर Warrnambool स्टेशन से ट्रेन पकड़कर Geelong ट्रेन स्टेशनतक जाता है और फिर टैक्सी लेकर Barwon Health Services तक जाता है।

रोगी Warrnambool से Geelong तक (दोनों दिशाओं में यात्रा) की इकानमी ट्रेन टिकट के खर्च और Warrnambool ट्रेन स्टेशन व Barwon Health Services (दोनों दिशाओं की यात्रा) के टैक्सी किरायों के खर्च का पात्र है।

सामुदायिक परिवहन

सामुदायिक परिवहन सेवाएँ सामुदायिक क्षेत्र की संस्थाओं और स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ लाभ निरपेक्ष और गतिशीलता सहायता परिवहन हैं ताकि स्थानीय समुदाय में परिवहन से वंचित लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

जिन परिस्थितियों में सामुदायिक परिवहन का प्रयोग किया जाता है और रसीद या इनवॉइस प्रदान की जाती है, वहाँ शुल्क ली गई दर या 20 सेंट्स प्रति किलोमीटर की दर में से जो राशिकम होगी, उसके लिए प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाता है।

कवर्ड यात्रा

प्रयोग किए गए परिवहन साधन को ध्यान में रखे बिना, यात्रा सहायता केवल निम्नलिखित स्थितियों के लिए प्रदान की जाती है:

- आपके घर और अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा के स्थान के बीच सीधी यात्रा के लिए
- चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा और आपके घर के बीच दोनों दिशाओं में की गई यात्रा के लिए।

उपचार अवधि के दौरान की गई यात्रा VPTAS सहायता की पात्र नहीं है।

उदाहरण

रोगी द्वारा ऑपरेशन पूर्व अपॉइंटमेंट में भाग लेने, एक रात के लिए अस्पताल में भर्ती होने और ऑपरेशन के बाद की अपॉइंटमेंट में भाग लेने के दौरान रोगी और अनुमोदित एस्कॉर्ट छ: रातों के लिए उपचार स्थल के पास किसी निजी आवास-स्थान में रहते हैं। रोगी और अनुमोदित एस्कॉर्ट myki और टैक्सियों का प्रयोग करके पूरे सप्ताह अनेक बार उपचार स्थल आते-जाते हैं।

सप्ताह के दौरान आवास स्थान और उपचार स्थल के बीच दोनों दिशाओं में myki व टैक्सी से की गई यात्राओं को उपचार अवधि में की गई यात्रा माना जाता है और इसलिए यह VPTAS सहायता की पात्र नहीं है।

यात्रा प्रदाताओं को सीधे भुगतान

उन परिस्थितियों में जहाँ संस्थाएँ आपकी ओर से यात्रा प्रबंध करती हैं या इनकी आपूर्ति करती हैं, आप यह निवेदन कर सकते/सकती हैं कि आपकी यात्रा पात्रताओं का भुगतान सीधे उस संस्था को किया जाए। इन परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना संस्था की जिम्मेदारी है कि प्रतिपूर्ति भुगतान प्राप्त करने के लिए वे VPTAS क्लेम फॉर्म (***परिशिष्ट 6***) के अनुभाग ई पर सूचीबद्ध हैं।

उन परिस्थितियों में जहाँ आप VPTAS सहायता के पात्र नहीं हैं, यह यात्रा का प्रबंध या इसकी आपूर्ति करने वाली संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वे VPTAS कार्यालय की बजाए आपके साथ भुगतान न किए गए यात्रा अकाउंट्स के बारे में पूछताछ करे।

अयोग्य यात्रा खर्चे

निम्नलिखित परिस्थितियों में VPTAS यात्रा सहायता प्रदान नहीं की जाएगी:

- यदि आप ऐम्बुलेंस, एयर ऐम्बुलेंस या एमर्जेंसी सहायता गाड़ी में यात्रा करते/करती हैं
- यदि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल स्थानांतरण करने के लिए यात्रा की जाती है
- यदि यात्रा किसी मृतक व्यक्ति से सम्बन्धित है
- यदि ऑस्ट्रेलिया में आने या ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने के लिए यात्रा की जाती है
- यदि आप किसी दूसरे राज्य, टेरेटरी या कॉमनवेल्थ योजना (उदाहरणत: Department of Veterans' Affairs) के अधीन या किसी पंजीकृत बेनेफिट्स संस्था से सहायता का क्लेम करने के पात्र हैं
- यदि जिस चोट या रोग का उपचार किया जा रहा हो, उसके सम्बन्ध में मुआवज़े, नुकसान या अन्य भुगतान के तरीके से कोई राशि प्राप्त या क्लेम की गई हो
- यदि चोट गाड़ी की दुर्घटना में लगी हो और यह Transport Accident Commission द्वारा कवर्ड (बीमा से सुरक्षित) हो
- यदि चोट काम पर लगी हो और यह WorkSafe द्वारा कवर्ड (बीमा से सुरक्षित) हो
- यदि एस्कॉर्ट सहित परिवार के सदस्य आपसे मिलने आते हैं
- यदि आपको अतिरिक्त यात्रा खर्च आता है, उदाहरणत: कार पार्किंग की टिकटें या e-tag का खर्च
- यदि आप रेन्टल कार (VPTAS रेन्टल कार को किराए पर लेने का समर्थन नहीं करता है) का प्रयोग करते/करती हैं; इस स्थिति में केवल फ्यूल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति प्रति किलोमीटर फ्यूल सब्सिडी दर के हिसाब से की जाएगी
- यदि आप एक से अधिक उपचार (चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा) अवधि के लिए यात्रा करते/करती हैं, उदाहरणत: उपचार कराते समय उपचार स्थल और आपके निवास-स्थान के बीच यात्रा।

आवासीय सहायता

यदि आप और आपका(के) अनुमोदित एस्कॉर्ट वाणिज्यिक आवास स्थान में रहते हैं तो आप दोनों अलग-अलग GST छोड़कर प्रति रात्रि अधिकतम $41.00 या GST सहित प्रति रात्रि अधिकतम $45.10 के पात्र होते हैं। यह आवासीय सब्सिडी केवल तभी उपलब्ध है यदि आप और आपका(के) अनुमोदित एस्कॉर्ट VPTAS यात्रा सहायता के पात्र हैं।

आवासीय सहायता के पात्र होने के लिए यह ज़रूरी है कि अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ VPTAS क्लेम फॉर्म (***परिशिष्ट 6***) में यह लिखे कि आपके और आपके एस्कॉर्ट के लिए यह आवश्यक है कि आप दोनों अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाओं से आपको मिलने वाले उपचार के स्थान पर या इसके करीब कहीं निवास करें।

अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ या प्राधिकृत अधिकारी को क्लेम फॉर्म पर यह लिखना चाहिए कि क्लेम फॉर्म पर सूचीबद्ध उपचार के प्रकरण के सम्बन्ध में ठहरने की कितने रातों की ज़रूरत है।

यदि आवास का खर्च अधिकतम सब्सिडी दर से कम हो, तो जो राशि कम हो उसका भुगतान किया जाएगा।

आपके अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान VPTAS आवासीय सहायता उपलब्ध नहीं होती है। हालांकि यदि लागू हो तो आपके अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान आपके अनुमोदित एस्कॉर्ट के लिए आवासीय सहायता उपलब्ध होती है।

उदाहरण

रोगी ने तीन अलग-अलग यात्राएँ की हैं जो उसके VPTAS क्लेम फॉर्म के अनुभाग ए में सूचीबद्ध हैं (ट्रेवल डॉयरी और अकामडैशन डॉयरी)। हर यात्रा में रात भर अस्पताल में भर्ती रहना और वाणिज्यिक आवास स्थान में दो रात – रोगी को भर्ती कराने से पहले की रात रोगी व एस्कॉर्ट के लिए, और रोगी के भर्ती होने की रात एस्कॉर्त के लिए - ठहरना शामिल है। VPTAS क्लेम फॉर्म के साथ टैक्स इनवॉइस प्रदान किए गए हैं। विशेषज्ञ ने VPTAS क्लेम फॉर्म के अनुभाग सी में एस्कॉर्ट की स्वीकृति दी है और रोगी के लिए एक रात के आवास की स्वीकृति दी है।

रोगी और एस्कॉर्ट दोनों एक रात के लिए आवासीय आर्थिक सहायता के पात्र हैं, और रोगी के रात भर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में एस्कॉर्ट आवास की एक अतिरिक्त रात के लिए पात्र होता है।

वाणिज्यिक और आर्थिक सहायता प्राप्त आवास

VPTAS आवासीय सब्सिडी के पात्र होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप वाणिज्यिक आवास स्थान में रहें। वाणिज्यिक आवास स्थान वह आवास स्थान होता है जो बिजनस के तौर पर पंजीकृत हो और जिसका ऑस्ट्रेलियन बिजनस नम्बर (Australian Business Number - ABN) हो। पंजीकृत वाणिज्यिक प्रदाताओं जैसे कि होटल, मोटल, कैरावैन पार्क, अपॉर्टमेंट, फ्लैट और किसी स्वास्थ्य सेवा के साथ जुड़े आवासीय सुविधाओं को वाणिज्यिक आवास स्थान समझा जाता है।

क्लेम के आवासीय भाग का प्रसंस्करण करने के लिए यह ज़रूरी है कि VPTAS क्लेम फॉर्म के साथ वाणिज्यिक आवास स्थान के लिए सभी मूल रसीदें या टैक्सेशन इनवॉइस लगाए जाएं। EFTPOS या क्रेडिट कार्ड की रसीद स्वीकार्य रसीद नहीं है। वाणिज्यिक आवास स्थान की रसीदें और टैक्सेशन इनवॉइसें लैटरहैड पर प्रदान की जानी चाहिए और इनमें निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए:

- वाणिज्यिक आवास स्थान प्रदाता या स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित आवासीय सुविधाओं का नाम व पता
- आवास प्रदाता का ABN
- रोगी और/या साथ ठहरे अनुमोदित एस्कॉर्ट का नाम
- तिथि(याँ) जब रोगी और/या अनुमोदित एस्कॉर्ट आवास स्थान पर ठहरे थे
- प्रति रात के लिए प्रत्येक व्यक्ति (रोगी और/या अनुमोदित एस्कॉर्ट) के आवास का खर्च
- आवास स्थान की कुल लागत।

निम्नलिखित स्थानों द्वारा प्रदान की गई रसीदें और टैक्स इनवॉइस को वाणिज्यिक आवास स्थान के तौर पर स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि इनमें नीचे दी गई जानकारी शामिल हो:

- किसी रियल एस्टेट एजेंट या stayz.com.au या airbnb.com.au जैसी वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया अल्पावधि का रेन्टल आवास
- Agoda, Expedia, Wotif व lastminute.com.au जैसे बुकिंग इंजन्स के माध्यम से बुक किया गया आवास

आवासीय प्रदाताओं को सीधा भुगतान

आप अपनी आवासीय पात्रताओं का भुगतान सीधे आवासीय प्रदाता को किए जाने का निवेदन कर सकते/सकती हैं। इन परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना आवासीय प्रदाता की जिम्मेदारी है कि प्रतिपूर्ति भुगतान प्राप्त करने के लिए वे ***VPTAS क्लेम फॉर्म*** के अनुभाग ई पर सूचीबद्ध हैं।

उन परिस्थितियों में जहाँ आप VPTAS सहायता के पात्र नहीं हैं, यह आवासीय प्रदाता की जिम्मेदारी होती है कि वह VPTAS कार्यालय की बजाए आपके साथ भुगतान न किए गए आवासीय अकाउंट्स के बारे में पूछताछ करें।

अयोग्य आवासीय खर्चे

निम्नलिखित परिस्थितियों में VPTAS आवासीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी:

- यदि आप और आपका(के) एस्कॉर्ट VPTAS यात्रा सहायता के पात्र नहीं हैं
- यदि आप किसी दूसरे राज्य, टेरेटरी या कॉमनवेल्थ योजना (उदाहरणत: Department of Veterans' Affairs) के अधीन या किसी पंजीकृत बेनेफिट्स संस्था से सहायता का क्लेम करने के पात्र हैं
- यदि जिस चोट या रोग का उपचार किया जा रहा हो, उसके सम्बन्ध में मुआवज़े, नुकसान या अन्य भुगतान के तरीके से कोई राशि प्राप्त या क्लेम की गई हो
- यदि चोट गाड़ी की दुर्घटना में लगी हो और यह Transport Accident Commission द्वारा कवर्ड (बीमा से सुरक्षित) हो
- यदि चोट काम पर लगी हो और यह WorkSafe द्वारा कवर्ड (बीमा से सुरक्षित) हो
- यदि आप अस्पताल में इनपेशेन्ट हों
- यदि आप और आपका(के) एस्कॉर्ट किसी गैर-वाणिज्यिक आवास स्थान में ठहरे हों (उदाहरणत: मित्रों या परिवार के साथ)।

यदि आप घर जाने का फैसला लेते/लेती हैं और उन अवधियों के दौरान यात्रा सहायता का क्लेम करते/करती हैं जब आवास प्रदाता आवास स्थान के लिए संरक्षण कर रहा हो और शुल्क ले रहा हो, तो आवासीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

VPTAS क्लेम फॉर्म पूरा करना

आपको क्लेम फॉर्म और अतिरिक्त ट्रेवल व अकामडैशन डॉयरी पूरी करने में मदद करने के लिए हो सकता है कि आप VPTAS क्लेम फॉर्म जांच-सूची का प्रयोग करना चाहें। VPTAS क्लेम फॉर्म, VPTAS क्लेम फॉर्म जांच-सूची और अतिरिक्त VPTAS ट्रेवल व अकामडैशन डॉयरी फॉर्म ***परिशिष्ट 6*** और <http://go.vic.gov.au/1epXMN> पर उपलब्ध हैं।

VPTAS क्लेम फॉर्म

हर उस स्थान के लिए जहाँ अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुँच प्राप्त की गई हो, वहाँ प्रत्येक उस विशेषज्ञ के लिए अलग-अलग क्लेम फॉर्म जमा कराया जाना चाहिए जिसने आपकी जांच की हो। अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ या प्राधिकृत अधिकारी को ***VPTAS क्लेम फॉर्म*** के अनुभाग सी के सभी भागों को पूरा करना चाहिए और विशेषज्ञ सेवाओं की अंतिम सूचीबद्ध तिथि पर या इसके पश्चात की तिथि पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि क्लेम फॉर्म के साथ अतिरिक्त ट्रेवल व अकामडैशन डॉयरी संलग्न की जाती है, तो इसपर भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की अंतिम सूचीबद्ध तिथि पर या इसके बाद की तिथि पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

उदाहरण

कोई रोगी हृदयरोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) से मिलने के लिए Ouyen से Mildura तक 105 किमी की यात्रा करता है। फिर उसे 539 किमी दूर मेलबोर्न में Royal Melbourne Hospital पर रेफर किया जाता है। उसकी तीन लगातार महीनों में कार्डियोलॉजी क्लिनिक पर तीन अलग-अलग अपॉइंटमेंट्स हैं और हर बार वह एक अलग कार्डियोलॉजी रजिस्ट्रार से मिलती है, और वे सभी एक ही कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ के नीचे काम करते हैं। फिर उसे MRI के लिए Royal Melbourne Hospital पर रेडियोलोजिस्ट को रेफर किया जाता है और वह अपनी MRI अपॉइंटमेंट में भाग लेने के लिए तीन सप्ताह बाद मेलबोर्न वापस आती है।

VPTAS कार्यालय के साथ कम से कम तीन अलग-अलग VPTAS क्लेम फॉर्म जमा कराए जाने की ज़रूरत होगी जिनमें निम्नलिखित यात्राओं के लिए क्लेम किया गया हो:

1. *Mildura कार्डियोलॉजी अपॉइंटमेंट में भाग लेने हेतु यात्रा के लिए*
2. *Melbourne कार्डियोलॉजी अपॉइंटमेंट में भाग लेने हेतु यात्रा के लिए*
3. *Melbourne MRI अपॉइंटमेंट में भाग लेने हेतु यात्रा के लिए*

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो आपके चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ काम करता है और आपके विवरण तथा प्राप्त की गई अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाओं की पुष्टि कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रार, रेज़ीडेन्ट मेडिकल ऑफिसर, इंटर्न, नर्सिंग युनिट मैनेजर, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट जैसा प्रशासनीय कर्मचारी हो सकता है। रेफर करने वाला आपका स्थानीय जनरल प्रेक्टिशनर प्राधिकृत अधिकारी नहीं है।

प्राधिकृत अधिकारी चिकित्सा विशेषज्ञ की ओर से VPTAS क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है, परन्तु चिकित्सा विशेषज्ञ का नाम और प्रदाता नम्बर प्रदान किया जाना चाहिए। ***अनुभाग सी: अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ*** पूरा करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सुनिश्चित करे कि इस अनुभाग के सभी भाग पूरे किए जाते हैं, इसमें यदि लागू हो तो किसी एस्कॉर्ट की स्वीकृति और आपके आवास-स्थान की स्वीकृति शामिल है।

उदाहरण

VPTAS क्लेम फॉर्म के ***अनुभाग सी: अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ*** को पूरा करने वाले ऑपथैल्मोलॉजी (नैत्रिकी) रजिस्ट्रार को क्लेम फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करने, अपना नाम, पद व तिथि लिखने से पहले कन्सल्टेन्ट (सलाहकार) ऑपथैल्मोलॉजिस्ट का नाम और प्रदाता नम्बर लिखना चाहिए।

कन्सेशन (रियायत) कार्ड धारक

अनुमोदित प्राथमिक कार्ड धारक वह व्यक्ति होता है जिसका विवरण पेन्शनर कन्सेशन कार्ड या हेल्थ केयर कार्ड (नीचे चित्र 1 में उपभोक्ता का नाम) के बायें हाथ के अनुभाग में शीर्ष पर किया गया होता है। पेन्शनर कन्सेशन कार्ड या हेल्थ केयर कार्ड में सूचीबद्ध अतिरिक्त लोगों (पार्टनर, डिपेन्डेंट या बच्चे) की पहचान अनुमोदित प्राथमिक कार्ड धारकों के रूप में नहीं की जाती है। इन परिस्थितियों में नॉन-कन्सेशन (गैर-रियायत) कार्ड धारक नीति लागू होगी।

चित्र 1: VPTAS-अनुमोदित कन्सेशन कार्ड

नॉन-कन्सेशन (गैर-रियायत) कार्ड धारक

वे रोगी जो किसी अनुमोदित पेन्शनर कन्सेशन कार्ड या हेल्थ केयर कार्ड के प्राथमिक कार्ड धारक नहीं होते हैं, वे प्रत्येक उपचार वर्ष में पहले $100 का भुगतान करेंगे। एक बार $100 का भुगतान किए जाने पर, आपको शेष उपचार वर्ष के लिए संपूर्ण VPTAS सहायता मिलेगी। उपचार वर्ष को आपकी सबसे पहली अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा की तिथि से 12 महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि आपने दो वर्षों के लिए VPTAS के द्वारा क्लेम नहीं किया है, तो नया उपचार वर्ष तब शुरू होता है जब आप अपनी अगली अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाएँ प्राप्त करते/करती हैं।

18 साल से कम आयु वाले रोगियों से उनके VPTAS प्रतिपूर्ति भुगतानों से पहले $100 काटे नहीं जाएंगे।

उदाहरण

नॉन-कन्सेशन कार्ड धारक रोगी 1 अक्तूबर 2014, 1 नवम्बर 2014 और 30 अप्रैल 2015 को प्राप्त उपचार के लिए VPTAS कार्यालय के साथ 1 जून 2015 को अपना पहला VPTAS क्लेम फॉर्म जमा करते हैं।

$100 उनकी VPTAS प्रतिपूर्ति भुगतान से काटे जाएंगे और उनका उपचार वर्ष 1 अक्तूबर 2014 को शुरू होता है। कोई अन्य कटौती नहीं होगे बशर्ते कि 1 अक्तूबर 2015 को या इसके पश्चात कोई क्लेम फॉर्म जमा कराया जाता है।

कन्सेशन कार्ड की स्थिति में बदलाव

किसी रोगी की कन्सेशन स्थिति का निर्धारण अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा के समय किया जाता है। कन्सेशन कार्ड की स्थिति में होने वाले किन्हीं बदलावों की सूचना अपना अगला VPTAS क्लेम फॉर्म जमा कराते समय दी जानी चाहिए।

यदि आपकी कन्सेशन कार्ड स्थिति बदलती है, तो आपकी कन्सेशन कार्ड स्थिति के बदलने की तिथि से लागू कन्सेशन कार्ड/नॉन-कन्सेशन कार्ड धारक दिशा-निर्देशों (उपरोक्त देखें) के अधीन आपका आंकलन किया जाएगा।

क्लेम करने की समय सीमा

संपूर्ण VPTAS क्लेम फॉर्म आपके क्लेम फॉर्म पर सूचीबद्ध अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवा की तिथि से लेकर 12 महीने की अवधि के बीच तक जमा करा दिए जाने चाहिए। क्लेम जमा कराने की तिथि वह होती है जब VPTAS कार्यालय को VPTAS क्लेम फॉर्म मिलता है। 12 महीने की जमा कराने की अवधि के बाहर की गई कोई यात्रा VPTAS सहायता के लिए पात्र नहीं है।

उदाहरण

किसी रोगी के VPTAS क्लेम फॉर्म को VPTAS कार्यालय 1 जून 2015 को प्राप्त करता है। क्लेम की गई यात्राएँ 2 मार्च 2014, 31 मई 2014 और 7 जून 2014 को की गई थी।

2 मार्च 2014 और 31 मई 2014 को की गई यात्राएँ VPTAS सहायता की पात्र नहीं हैं क्योंकि अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाओं के प्रदान किए जाने को 12 महीने से अधिक हो चुके हैं।

सहायक दस्तावेज़

यह ज़रूरी है कि अपने क्लेम के समर्थन में आप प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें, उदाहरणत: चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लिखा सहायक पत्र। यात्रा तथा आवास के लिए आपके क्लेम के साथ वैध रसीदें या टैक्स इनवॉइस जमा कराई जानी चाहिए। पेट्रोल रसीदों की ज़रूरत नहीं है। यदि मूल दस्तावेज़ और रसीदें प्रदान नहीं की जाती हैं तो इनके बदले में बैंक स्टेटमेंट्स और कानूनी घोषणाएँ पर्याप्त दस्तावेज़ नहीं हैं। यदि लागू हो तो अपने क्लेम फॉर्म के साथ रसीदों को जमा कराने के लिए इनकी प्रति प्राप्त करने के लिए आपको यात्रा प्रदाता और/या आवास-स्थान प्रदाता को फोन करने की ज़रूरत होगी।

नाकामयाब या अपूर्ण क्लेम

आपको लिखित रूप में यह वर्णन करते हुए सूचित किया जाएगा कि आपके VPTAS क्लेम के नाकामयाब होने का क्या कारण है। यदि VPTAS क्लेम फॉर्म आंशिक रूप से पात्र हो, तो VPTAS कार्यालय द्वारा जारी किए गए आपके 'advice to payee (प्राप्तकर्ता को सलाह)' दस्तावेज़ में किन्हीं नाकामयाब अंशों की सूचना आपको दी जाएगी।

यदि VPTAS क्लेम फॉर्म अपूर्ण है या पूरे दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए हैं, तो VPTAS कार्यालय यह बताने के लिए आपसे संपर्क करेगा कि क्लेम का आंकलन करने के लिए कौन से अनुभाग पूरे किए जाने की ज़रूरत है और किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है।

उदाहरणें

कोई रोगी अपना VPTAS क्लेम फॉर्म जमा कराता है और उन्होंने ***अनुभाग डी: रोगी की सहमति और घोषणा*** पूरा नहीं किया है।

क्लेम फॉर्म रोगी को वापस भेजा जाएगा ताकि वह अनुभाग डी पूरा कर सके।

रोगी अपना VPTAS क्लेम फॉर्म जमा कराता है और उन्होंने ***अनुभाग ई: भुगतान के विवरण*** पूरा नहीं किया है।

यदि क्लेम फॉर्म का आंकलन पात्र के तौर पर किया जाता है, तो रोगी या यदि रोगी की आयु 18 साल से कम है तो रोगी के सूचीबद्ध एस्कॉर्ट को चेक भेजा जाएगा।

रोगी/कानूनी संरक्षक की सहमति और घोषणा

VPTAS क्लेम फॉर्म का आंकलन प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया जाता है। VPTAS सहायता की पात्रता का आंकलन करने के लिए प्रदान की गई कोई जानकारी गोपनीय बनी रहेगी। आपके VPTAS क्लेम का आंकलन करते समय, हो सकता है कि दूसरे प्रासंगिक पक्षों के साथ आपके आवेदन की चर्चा करना आवश्यक हो। इसमें आवश्यकतानुसार आपका चिकित्सा विशेषज्ञ (या उनका प्राधिकृत अधिकारी), उस अस्पताल के खण्ड के मेडिकल रिकॉर्ड्स जहाँ आपने भाग लिया हो, कोई आवासीय/परिवहन प्रदाता, या कोई अन्य पक्ष शामिल हो सकता है। आपकी लिखित सहमति और घोषणा पर क्लेम फॉर्म के ***अनुभाग डी: सहमति और घोषणा*** पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि VPTAS कार्यालय आपके VPTAS आवेदन पर चर्चा कर सके।

आवेदन से सम्बन्धित मामलों को स्पष्ट करने के लिए केवल आपके VPTAS आवेदन और प्रासंगिक पक्षों से जारी सूचना से सीधे-सीधे सम्बन्धित विवरणों पर ही चर्चा की जा सकती है।

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप एक घोषणा पर हस्ताक्षर करें कि प्रदान की गई संपूर्ण जानकारी सही और उचित है।

VPTAS क्लेम का प्रसंस्करण किए जाने से पहले रोगी सहमति और घोषणा अनुभाग डी पूरा किया जाना चाहिए।

प्रतिक्रिया: शिकायत, सराहना एवं समीक्षा से सम्बन्धित नीति

Department of Health & Human Services उच्च स्तरमान बनाए रखने और VPTAS प्रक्रिया को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसमें रोगियों, उपभोक्ताओं, देखरेखकर्ताओं, स्वास्थ्य व्यवसायियों और VPTAS कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सम्मानपूर्वक तथा प्रतिक्रियाशील शिकायत एवं समीक्षा निपटान प्रणाली प्रदान करना शामिल है।

विभाग यह जानना चाहता है कि ग्रामीण विक्टोरियाई लोगों को उनके लिए ज़रूरी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कराने में मदद करने के लिए हम VPTAS का प्रबंधन किस प्रकार श्रेष्ठ रूप से कैसे कर सकते हैं। आपकी बात सुनकर और VPTAS से सम्बन्धित सम्भवत: आपकी किन्हीं शंकाओं के बारे में जानकर, हमें उन सभी विक्टोरियाई लोगों के लिए प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी जिन्हें योजना का प्रयोग करने की ज़रूरत है।

आप VPTAS की शिकायत करके या की सराहना करके समीक्षा का निवेदन कर सकते/सकती हैं या प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते/सकती हैं।

शिकायत, सराहना या समीक्षा का निवेदन क्या है?

VPTAS कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं सेवाओं के साथ अंसतोष की अभिव्यक्ति को शिकायत कहते हैं।

VPTAS कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं सेवाओं की प्रशंसा करना और इनके बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने को सराहना करना कहते हैं।

समीक्षा का निवेदन आपके या आपके एस्कॉर्ट के लिए यात्रा और/या आवासीय आर्थिक सहायता के लिए आपके द्वारा VPTAS कार्यालय को जमा कराए किसी विशेष क्लेम के सम्बन्ध में होता है। यदि VPTAS कार्यालय से आपको मिले परिणाम से आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप इस फैसले की समीक्षा किए जाने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।

प्रतिक्रिया या समीक्षा का निवेदन कैसे प्रदान करें

यदि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया (शिकायत या सराहना) प्रदान करना चाहता है, VPTAS क्लेम के परिणाम के बारे में जानना चाहता है या समीक्षा का निवेदन करना चाहता है, तो उसे VPTAS कार्यालय से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नि:शुल्क कॉल: 1300 737 073

यदि इस समय आपकी समस्या या पूछताछ का समाधान नहीं किया जा सकता है तो आप नीचे दर्शाई प्रक्रिया का अनुसरण करके समीक्षा का लिखित निवेदन या शिकायत कर सकते/सकती हैं।

शिकायत या समीक्षा का निवेदन करना

सभी रोगियों और उनके माता-पिता/कानूनी संरक्षकों को VPTAS कार्यालय द्वारा क्लेम से सम्बधित लिए गए फैसले की समीक्षा का निवेदन करने या शिकायत करने का अधिकार है। समीक्षा का निवेदन या शिकायत करने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं लगती है।

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप निम्नलिखित किसी माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया (शिकायत या सराहना) दें या समीक्षा का निवेदन करें:

1. **लिखित रूप में**
2. **VPTAS** मैनेजर को डाक या ई-मेल द्वारा

   डाक से इस पते पर भेजकर:

   VPTAS कार्यालय
   PO Box 712
   Ballarat VIC 3380

   इस पते पर ई-मेल करके:

   vptas@dhhs.vic.gov.au
3. कार्यालय द्वारा यह सूचना मिलने के तीन महीनों के अंदर कि क्लेम का कुछ भाग या संपूर्ण क्लेम नामंज़ूर हो गया है, और
4. **किसी अतिरिक्त सूचना के साथ जो आपके निवेदन की पुष्टि करे।** आपके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप मूल क्लेम, ट्रेवल डॉयरी या रसीदें शामिल करें, जिन्हें आपने पहले VPTAS कार्यालय को भेजा था।

क्या आपको सहायता की ज़रुरत है?

यदि आपको समीक्षा का अपना निवेदन या प्रतिक्रिया प्रदान करने में सहायता चाहिए तो कृपया इन्हें टेलीफोन करें:

VPTAS कार्यालय को: नि:शुल्क कॉल 1300 737 073

यदि आपको अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में मदद की ज़रूरत है तो कृपया राष्ट्रीय टेलीफोन दुभाषिया सेवा के माध्यम से टेलीफोन करें:

तात्कालिक फोन इंटरप्रेटिंग: 131 450
पहले से बुक की गई फोन इंटरप्रेटिंग बुकिंग: 1300 655 081

आपकी शिकायत या समीक्षा के लिए आपका निवेदन

निष्पक्ष और स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करने के लिए दो-चरणीय शिकायत और समीक्षा प्रक्रिया स्थापित की गई है।

चरण 1

1. VPTAS मैनेजर आपके द्वारा मूल क्लेम जमा कराए जाने के समय संचालित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपकी शिकायत या समीक्षा के निवेदन पर ग़ौर करेगा। VPTAS दिशा-निर्देश <http://go.vic.gov.au/1epXMN> पर उपलब्ध हैं।
2. सभी शिकायतों और/या समीक्षा के सभी निवेदनों की प्राप्ति की सूचना डाक से इनके मिलने के एक सप्ताह के अंदर दी जाएगी।

3. VPTAS मैनेजर VPTAS कार्यालय द्वारा समीक्षा के निवेदन के प्राप्त होने के एक महीने (30 दिनों) के अंदर आपकी समीक्षा या प्रतिक्रिया के परिणाम के बारे में आपको लिखित रूप में सूचना देगा।
4. आपकी गुप्तता और गोपनीयता का हर समय *गुप्तता एवं आंकड़ा संरक्षण अधिनियम 2014 (Privacy and Data Protection Act 2014*) (Vic)*, स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स अधिनियम 2001* (*Health Records Act 2001*) (Vic) और *मानवाधिकार एवं उत्तरदायित्व अधिनियम का अधिकार-पत्र 2006* (*Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006*) (Vic) के अनुसार सम्मान किया जाएगा।

चरण 2

1. यदि आपने VPTAS मैनेजर के साथ अपनी चिंताएं प्रकट की हैं और फिर भी आप परिणाम से असंतुष्ट हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया Department of Health & Human Services के शियाकत, अखंडता एवं गुप्तता खण्ड (Complaints, Integrity and Privacy Unit) को भेज सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए विभाग की शिकायत सूचना वेबसाइट <www.health.vic.gov.au/complaints> देखें।
2. शिकायत, अखंडता एवं गुप्तता खण्ड शिकायतों का प्रबंध करने का विभाग का केन्द्रीय खण्ड है।
3. शिकायत, अखंडता एवं गुप्तता खण्ड VPTAS कार्यालय को यह सूचना देगा कि आपकी शिकायत प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जाएगी। वरिष्ठ प्रबंधक आपकी चिंताओं और VPTAS कार्यालय के जवाबों की समीक्षा और छानबीन करेगा।

आप शिकायत, अखंडता एवं गुप्तता खण्ड को डाक, ई-मेल या टेलीफोन द्वारा अपनी शिकायत जमा करा सकते/सकती हैं।

डाक द्वारा:	ई-मेल से:	टेलीफोन नि:शुल्क कॉल:
Department of Health & Human Services Manager, Complaints, Integrity and Privacy Unit GPO Box 4057 Melbourne VIC 3000	complaints.reception@dhhs.vic.gov.au	1300 884 706

विक्टोरियाई ओम्बड्समैन (लोकपाल) के पास जाना

1. यदि आप अभी भी परिणाम (VPTAS मैनेजर और शिकायत, अखंडता एवं गुप्तता खण्ड, दोनों, से प्राप्त) से असंतुष्ट हैं, तो आप विक्टोरियाई लोकपाल के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं।
2. विक्टोरियाई लोकपाल विक्टोरियाई संसद का एक स्वतंत्र अधिकारी है। लोकपाल कार्यालय Department of Health & Human Services तथा VPTAS कार्यालय जैसे विभागों सहित विक्टोरियाई सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई प्रशासनीय कार्यवाहियों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच-पड़ताल करता है।
3. लोकपाल सामान्यत: आपकी शिकायत या समीक्षा के आपके निवेदन पर विभाग द्वारा प्रतिक्रिया किये जाने (चरण 1 व 2) के पश्चात ही शिकायत को स्वीकार करेगा।

आप अपने मुद्दों की चर्चा करने या कोई शिकायत दर्ज करने के लिए विक्टोरियाई लोकपाल के कार्यालय से निम्नलिखित माध्यम से संपर्क कर सकते/सकती हैं:

डाक द्वारा:	ऑनलाइन:	टेलीफोन:
Victorian Ombudsman Level 1 North Tower 459 Collins Street Melbourne VIC 3000	www.ombudsman.vic.gov.au/ Complaints/Make-a-Complaint	9613 6222 या नि:शुल्क कॉल 1800 806 314 (केवल क्षेत्रीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

कृपया ध्यान दें कि सामान्यत: शिकायतें विक्टोरियाई लोकपाल के साथ लिखित रूप में दर्ज कराई जानी चाहिए।

उन गैर-अंग्रेज़ी भाषी लोगों की मदद करने के लिए ब्रोशर (पुस्तिकाएँ) <www.ombudsman.vic.gov.au/translations> वेबसाइट के Translations पेज़ पर विक्टोरिया में सबसे आम बोली जाने वाली 19 भाषाओं में उपलब्ध हैं, जो विक्टोरियाई लोकपाल के कार्यालय तक पहुँच प्राप्त करना चाहते हैं।

शिकायतों और समीक्षाओं के बारे में एकत्रित की जाने वाली सूचना के साथ क्या होता है?

आपकी शिकायत या समीक्षा के निवेदन की जांच-पड़ताल करने में Department of Health & Human Services के अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के साथ आपकी निजी जानकारी को सांझा करना शामिल हो सकता है ताकि कोई हल निकाला जा सके। शिकायतों और सुझावों से सम्बन्धित सांख्यिकीय जानकारी का प्रयोग VPTAS कार्यालय द्वारा यात्रा और आवासीय क्लेमों का प्रसंस्करण करने के तरीके को बेहतर बनाने और चिकित्सीय विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यात्रा करते समय ग्रामीण विक्टोरियाई लोगों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी किया जाता है।

इन उद्देश्यों के लिए आपकी सूचना के प्रयोग को ध्यानपूर्वक नियंत्रित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा *गुप्तता एवं आंकड़ा संरक्षण अधिनियम 2014* (*Privacy and Data Protection Act 2014*) तथा *स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स अधिनियम 2001* (*Health Records Act 2001*) के अनुसार किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड्स का प्रबंध करने के विभाग के दायित्वों और ज़रूरतों के बारे में और अधिक जानकारी आप <www.health.vic.gov.au/healthrecords> पर और अपनी निजी जानकारी का प्रबंध करने के बारे में और अधिक जानकारी आप <www.dataprotection.vic.gov.au> पर प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

स्वास्थ्य सेवा आयुक्त और गुप्तता एवं आंकडा संरक्षण आयुक्त से संपर्क करने से सम्बन्धित जानकारी के लिए ***'गुप्तता'*** अनुभाग (आगे) पर जाएं।

गुप्तता

VPTAS कार्यालय आपकी गुप्तता को सुरक्षित करने के लिए वचनबद्ध है।

रोगियों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने में बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत और अक्सर अत्यधिक संवेदनशील जानकारी एकत्रित करना और इसे संभाल कर रखना शामिल है। व्यक्तिगत जानकारी उस जानकारी का संदर्भ देती है जो व्यक्ति की पहचान किए जाना सक्षम बनाती है। यह किसी भी प्रकार में हो सकती है और इसे किसी भी तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है। हो सकता है कि व्यक्तिगत जानकारी तुरंत ही पहचान योग्य हो (जैसे कि रोगी का नाम) या फिर संभावित तौर पर पहचान योग्य हो (जैसे कि रोगी का कुलनाम व सबर्ब)।

हम केवल VPTAS के क्लेमों का प्रबंध करने और भुगतानों का प्रसंस्करण करने के उद्देश्यों के लिए ही इस व्यक्तिगत जानकारी को एकत्रित और इसका प्रबंध करते हैं।

VPTAS कार्यालय की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि इसका प्रबंध उचित रूप से होता है और इसका प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होता है जिसके लिए इस जानकारी के एकत्रित किए जाने पर होना नियत हुआ था।

सूचना गुप्तता सिद्धांत व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंध करने के लिए वैधानिक दायित्वों को निर्धारित करते हैं। ये सरकारी क्षेत्र की सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं और ये व्यक्तिगत जानकारी के को एकत्रित किए जाने से लेकर इसका प्रयोग किए जाने, इसे जारी किए जाने और इसका निपटान किए आने तक सूचना चक्र के सभी चरणों को सम्मिलित करते हैं। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरे Department of Health & Human Services में सुसंगत तरीके से गुप्तता की सुरक्षा की जाती है। सूचना गुप्तता सिद्धांत विभाग की गुप्तता नीति के वक्तव्य में दर्शाए गए हैं, जो वैधानिक सिद्धांतों को न्यूनतम स्तरमानकों के रूप में धारण करता है।

भुगतान और प्रतिपूर्तियों का प्रबंध और प्रसंस्करण करने के लिए, हम आवासीय व परिवहन प्रदाताओं जैसे बाहरी पक्षों को आपकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा कर सकते हैं।

यदि आपको आपकी सहमति के बिना सूचना के जारी किए जाने को लेकर कोई शिकायत है (या आपकी कोई अन्य गुप्तता शिकायत है), तो आप गुप्तता एवं आंकडा संरक्षण आयुक्त को अपनी चिंताएं प्रकट कर सकते/सकती हैं अथवा आप अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी के संबंध में स्वास्थ्य सेवा आयुक्त को शिकायत कर सकते/सकती हैं।

यदि अन्य विधान गुप्तता कानून के विपरीत हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अन्य विधान सर्वोपरि माने जाएंगे। उदाहरणत:, यदि *गुप्तता एवं आंकडा संरक्षण अधिनियम 2014* (*Privacy and Data Protection Act 2014*) के अनुसार किसी रोगी से सम्बन्धित सूचना को रोक कर रखने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो इस सूचना को विक्टोरियाई लोकपाल से रोक कर नहीं रखा जा सकता है, जहाँ इसकी ज़रूरत *लोकपाल अधिनियम 1973* (*Ombudsman Act 1973*) के अनुसार होती है।

यदि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान न करने का फैसला लेते/लेती हैं या आप अनुरोध की गई जानकारी के कुछ भाग को ही प्रदान करते/करती हैं, तो हो सकता है कि हम आपके क्लेम का प्रसंस्करण न कर पाएँ।

आपको *सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 1982* (Freedom of *Information Act 1982*)* के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार है।

लेखा परीक्षण

Department of Health & Human Services के पास के सभी क्लेमों पर नियमित रूप से लेखा परीक्षण करने का अधिकार संरक्षित है। इसमें VPTAS क्लेम फॉर्म में प्रदान किए गए विवरण के सम्बन्ध में रोगियों, एस्कॉर्ट्स और अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञों से सूचना प्राप्त करना शामिल है, परन्तु यह इसी कार्य तक सीमित नहीं है।

विभाग की गुप्तता नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए, गुप्तता वेबसाइट <www.dhhs.vic.gov.au/privacy> देखें।

स्वास्थ्य सेवा आयुक्त

स्वास्थ्य सेवा आयुक्त से निम्नलिखित तरीकों से संपर्क किया जा सकता है

शिकायत व सूचना	या इस पते पर लिखकर संपर्क करें:
टेलीफोन: 1300 582 113 फैक्स: (03) 9032 3111 ई-मेल: hsc@dhhs.vic.gov.au	Health Services Commissioner Level 26, 570 Bourke Street Melbourne VIC 3000

गुप्तता एवं आंकडा संरक्षण आयुक्त का कार्यालय

गुप्तता एवं आंकडा संरक्षण आयुक्त के कार्यालय (गुप्तता एवं आंकडा संरक्षण विक्टोरिया) से निम्नलिखित तरीकों से संपर्क किया जा सकता है:

टेलीफोन: 1300 666 444
फैक्स: 1300 666 445
ई-मेल: enquiries@privacy.vic.gov.au
वेबसाइट: www.dataprotection.vic.gov.au

पता:

Level 6, 121 Exhibition Street
Melbourne

या इस पते पर लिखकर संपर्क करें:

GPO Box 24014
Melbourne VIC 3001

* सूचना की स्वतंत्रता (freedom of information - FoI) के निवेदनों से सम्बन्धित जानकारी के लिए, Department of Health & Human Services की वेबसाइट "http://www.dhhs.vic.gov.au/privacy" www.dhhs.vic.gov.au/privacy देखें।

परिशिष्ट 1: विक्टोरियाई ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र

चित्र 1: Department of Health & Human Services के ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र

परिशिष्ट 2: विक्टोरियाई महानगरीय (मेलबोर्न) स्वास्थ्य क्षेत्र

चित्र 2: Department of Health & Human Services का महानगरीय नक्शा

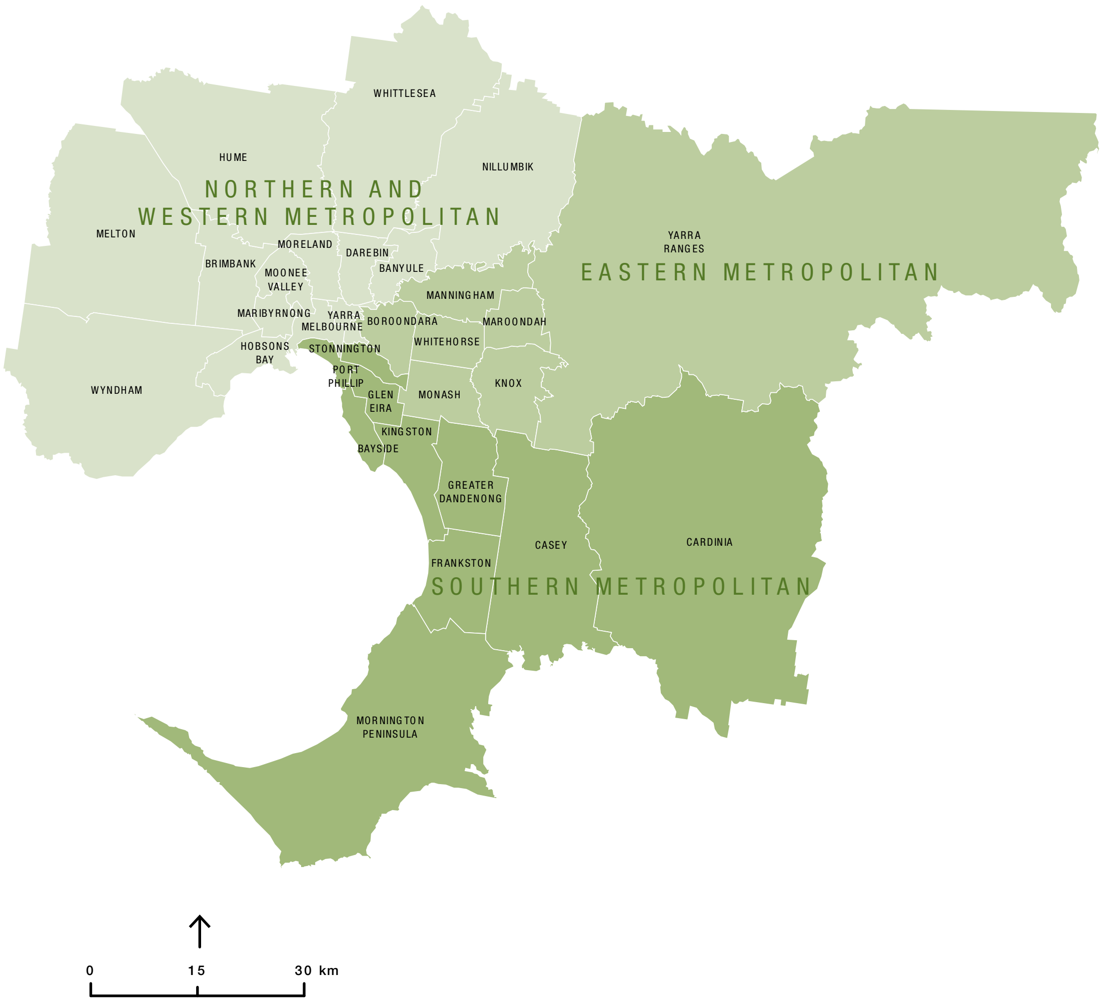

परिशिष्ट 3: राज्य व टेरेटरी की रोगी यात्रा सहायता योजनाएँ

ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरेटरी

अंतरराज्यीय रोगी यात्रा सहायता योजना

www.health.act.gov.au/consumers/interstate-patient-travel/

न्यू साउथ वेल्स

पृथक रोगी यात्रा एवं आवासीय सहायता योजना

www.enable.health.nsw.gov.au/iptaas

नार्दर्न टेरेटरी

रोगी सहायता यात्रा योजना

www.health.nt.gov.au/Hospitals/Patient_Assistance_Travel_Scheme

क्वींसलैंड

रोगी यात्रा आर्थिक सहायता योजना

www.health.qld.gov.au/ptss

साउथ ऑस्ट्रेलिया

रोगी सहायता परिवहन योजना

http://www.countryhealthsa.sa.gov.au/Services/PatientAssistanceTransportSchemePATS.aspx

तस्मानिया

रोगी यात्रा सहायता योजना

www.dhhs.tas.gov.au/ambulance/ptas

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया

रोगी सहायता यात्रा योजना

www.wacountry.health.wa.gov.au/index.php?id=pats

परिशिष्ट 4: डेन्टल स्वास्थ्य सेवाएँ विक्टोरिया – विशेषज्ञ खण्ड

डेन्टल हेल्थ सर्विसिज़ विक्टोरिया मेलबोर्न के The Royal Dental Hospital पर नैदानिक डेन्टल सेवाएँ प्रदान करती है और पूरे विक्टोरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाओं से सरकारी रोगियों के लिए डेन्टल सेवाओं की खरीद करती है।

जिन रोगियों को विशेषज्ञ डेन्टल सेवाएँ प्राप्त करने के लिए डेन्टल हेल्थ सर्विसिज़ विक्टोरिया को रेफर किया जाता है, उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे डेन्टल हेल्थ सर्विसिज़ विक्टोरिया की उपचार पात्रता के मानदंडों को पूरा करें

डेन्टल हेल्थ सर्विसिज़ विक्टोरिया के विशेषज्ञ खण्ड में कार्यरत प्रेक्टिशनर VPTAS-अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ होता है।

सारणी 1:   The Royal Dental Hospital Melbourne पर विशेषज्ञ विभाग

एंडोडान्टिक्स	यह विशेषज्ञ विभाग दांतों की जड़ों और आसपास के सॉफ्ट टिशु में रोग का निदान करता है, इसकी रोकथाम करता है और रोग या चोट का इलाज करता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत के गलने, इसमें बीमारी लगने या दांत के गूदे में सदमे से क्षतिग्रस्त हुए दांत को बचाने के लिए प्रयोग की जाती है।
संकलित विशेष ज़रूरतें (Integrated special needs)	Integrated Special Needs विभाग में कई उप-ईकाईयाँ हैं जो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक स्वास्थ्य, पेचीदा चिकित्सीय और बुढ़ापे से सम्बन्धित समस्याओं सहित विशेष ज़रूरतों वाले रोगियों को विभिन्न प्रकार के डेन्टल आंकलन और उपचार उपलब्ध कराती हैं। • घर से बाहर निकलने में असमर्थ रोगियों के लिए बाहरी आवासीय सेवा • मोबाइल स्पेशल स्कूल्स और स्पेशन डिवेल्पमेंट स्कूल्स की डेन्टल वैन सेवा • आवासहीन लोगों के लिए मौखिक स्वास्थ्य सेवाएँ – ये Ozanam House, North Melbourne पर प्रदान की जाती हैं • जेल में कैद युवाओं के लिए Melbourne Youth Justice Centre, Parkville पर डेन्टल सेवाएँ।
ओरल मेडिसन	यह विशेषज्ञ विभाग होठों, गालों, जीभ और जबड़े से सम्बन्धित रोगों और पीड़ा के लिए रोग-निदान, उपचार और प्रबंधन प्रदान करता है। ओरल मेडिसन क्लिनिक की दो शाखाएँ हैं। ये चेहरे की पीड़ा और टेम्पोरोमेंडीब्युलर जोड़ों का विकार (temporomandibular joint disorders - TMD) और ओरल मेडिसन – म्यूकोसल है।
ऑर्थोडोन्टिक्स	यह विशेषज्ञ विभाग ब्रेसिज़ जैसे उपकरणों का प्रयोग करके दांतों और जबड़ों के संरेखण को ठीक करता है। यह विभाग रेफर करने वाले प्रेक्टिशनरों को उन उपचारों का परामर्श भी प्रदान करता है जिन्हें वे प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रेक्शन। डेन्टल व्यवसायी को ऑर्थोडोन्टिक रेफरल फॉर्म भरना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि उस समय रोगी की सामान्य डेन्टल देखरेख का नियमित रूप से रख-रखाव किया जाए जब वह ऑर्थोडोन्टिक देखरेख तक पहुँच प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हों या जब लम्बे ऑर्थोडोन्टिक्स उपचार के चरण चल रहे हों। पात्र रोगी सामुदायिक डेन्टल क्लिनिकों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त सामान्य देखरेख तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

बाल दंत चिकित्सा	यह सेवा 16 साल तक की आयु वाले बच्चों और किशोरों के लिए है और यह पेचीदा निवारक और उपचारात्मक दंत समस्याओं का प्रबंध करती है। रेफरल के कारण पर निर्भर करते हुए बाल दंत चिकित्सा क्लिनिक के दो अलग-अलग वर्गों में देखरेख प्रदान की जा सकती है। उदाहरणतः, कुछ बच्चे के दांतों में विसंगतियों के कारण विशेषज्ञ-स्तर की देखरेख की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि अन्य बच्चों में आचरण सम्बन्धी कठिनाईयाँ हो सकती हैं जिसके कारण डेन्टल चेयर में उनका सामान्य उपचार करना असंभव हो सकता है।
पेरिओडोन्टिक्स	यह विशेषज्ञ विभाग सामान्य से गंभीर पेरिओडाँटल (मसूड़ा) रोग का रोग-निदान, रोकथाम और उपचार उपलब्ध कराता है।

प्रोस्थोडोन्टिक्स	यह विभाग टूटे या कमज़ोर दांतों और/या चेहरे व जबड़े से सम्बन्धित मौखिक समस्याओं के इलाज में माहिर है। इसमें हटाए जाने योग्य डेन्चर, क्राउन्स, ब्रिज़िस, फिक्सड इम्प्लाँट के साथ प्राकृतिक दांतों को बदलना और चेहरे पर कृत्रिम अंगों की स्थापना करना शामिल है।
	इस क्लिनिक में प्रदान किए जाने वाले उपचार की लम्बी-अवधि की सफलता में योगदान देने में रोगी मुख्य भूमिका निभाते हैं।
	टूटे दांतों को बदलने की प्रक्रिया तीन नैदानिक सिद्धांतों से संचालित है:
	• स्वास्थ्य की प्राप्ति
	  – (कोई संक्रमण नहीं)
	• रोगियों के लिए गरिमा प्रदान करने हेतु डेन्टल एस्थेटिक्स
	  – (अग्रिम दांतों को बदलना)
	  – (डेन्टल वृत्तखण्ड को कम करना)
	• प्रकार्य उपलब्ध कराने के लिए दांतों की पर्याप्त संख्या।

और अधिक जानकारी के लिए **Dental Health Services Victoria** से संपर्क करें:

टेलीफोन: 1800 833 039

ई-मेल: Enquiries@dhsv.org.au

वेबसाइट: www.dhsv.org.au

परिशिष्ट 5: फैमिली स्पोर्ट लेटर (पारिवारिक सहायता पत्र)

Family support form

Victorian Patient Transport Assistance Scheme (VPTAS)

Patients may be eligible for family support assistance:

✓ if the approved medical specialist requires immediate family members (parents or guardians, partners and/or children) to participate in a medical treatment or consultation appointment. In these circumstances the patient is deemed to be the primary patient receiving approved specialist medical services.

Family support does **not** include situations where family members, including an approved escort, travel:

✘ to visit a patient

✘ to bring clothes, medications or items requested by the patient

✘ between their or the patient's home and the treatment location to upkeep the home, care for other family members, look after pets or return for work.

About the patient

Note: The patient is the person listed in Section B: Patient's details on the accompanying VPTAS claim form

Given names

Family name   Date of birth / /

Residential address

Suburb   State   Postcode

About the person required to participate in the same session as patient for a consultation or treatment

Note: A separate family support form is required to be completed for each person required by the specialist to attend the same session as the patient for a consultation or treatment

Full name

Relationship to patient   Phone number

Residential address

Suburb   State   Postcode

Specific date(s) this person was required to attend consultations/treatment

Date / /   Date / /   Date / /

Date / /   Date / /   Date / /

Reason the above person is required to participate

Note: If the space here is not adequate, please attach a letter outlining the details

Treating medical specialist's signature   Date / /

Full name

Type of specialist

Provider number   Phone number

For more information contact the VPTAS Office on 1300 737 0733.

When completed send this **Family support form** together with your **VPTAS claim form** to the VPTAS Office.

VICTORIA State Government | Health and Human Services

SAMPLE

परिशिष्ट 6: VPTAS क्लेम फॉर्म

VPTAS Office use. Claim Number:

Travel and accommodation reimbursement claim form

Victorian Patient Transport Assistance Scheme (VPTAS)

Please note:

- The standard **processing time** for an eligible claim is **six to eight weeks**
- Claim forms must be **lodged within 12 months** of attending an approved medical specialist service
- Do not add trips to this form after the approved medical specialist or authorised officer has signed and dated this form in Section C
- Submit separate VPTAS claim forms for each specialist.

About the scheme

The Victorian Patient Transport Assistance Scheme (VPTAS) helps eligible Victorians and an approved escort(s) who have to travel a long way for specialist medical treatment by subsidising their travel and accommodation costs.

VPTAS guidelines

Details about the subsidy levels and eligibility criteria are in the VPTAS guidelines. Follow the links from our website <http://go.vic.gov.au/1epXMN> or contact the VPTAS Office on 1300 737 073.

Am I eligible?

You might be eligible if you are:

✓ a **Victorian resident** or a living organ donor from interstate

✓ living in a designated **rural Victorian region**

✓ receiving **specialist medical treatment** covered by the scheme (see the VPTAS guidelines for details)

✓ travelling **100 kilometres or more one way** or an **average of 500 kilometres** a week for one or more weeks to see your specialist

✓ a **metropolitan** resident receiving specialist medical treatment **interstate** because the treatment is not available within Victoria.

Note: This must be approved in writing by your medical ***specialist.***

To determine if the minimum distance criteria is met the VPTAS Office uses *Google maps, Get Directions*, which is accessible from <http://go.vic.gov.au/1epXMN>.

Non-concession card holders

An annual deduction of $100 will be made from claims for patients who are not the primary card holder of an approved pensioner concession card or health care card. Patients under the age of 18 years will not have the first $100 deducted.

Travel covered

Only travel between the patient's home and the treatment location and travel to return to the patient's home is eligible for VPTAS. No travel undertaken during a treatment period will be eligible for VPTAS assistance.

Claims are ineligible if the patient:

✘ is participating in **clinical trials** or experimental treatments

✘ lives in a state or territory other than Victoria

✘ is **on holidays** or visiting friends or family

✘ is undertaking a journey to or from **outside Australia**

✘ is accessing **allied health** (for example, physiotherapy, audiology, podiatry) or general practitioner (GP) services

✘ is eligible to claim assistance under another state, territory or Commonwealth scheme or from a registered benefits organisation including the **Department of Veterans' Affairs**

✘ has received or claimed damages or other payment in respect to the illness or injury being treated

✘ was injured in a motor vehicle accident and is covered by the **Transport Accident Commission** or injured at work and is covered by **WorkSafe.**

Checklist

Section A: Travel and accommodation diary

☐ All journey details are provided

☐ All receipts/invoices are attached for accommodation, flights, public transport, or community transport

Section B: Patient's details

☐ All patient details are provided

☐ Escort details have been listed

Section C: Approved medical specialist

☐ All parts of this section have been completed by the specialist or authorised officer

Section D: Consent and declaration

☐ Has been signed and dated by the patient or legal guardian

Note: The VPTAS Office is unable to process a claim form unless Section D is fully completed

Section E: Payment details

☐ Either a cheque or EFT payment has been selected

☐ Correct address/bank details have been provided

☐ If any payments are for another provider their correct details are listed in Section E

Note: a more detailed checklist is available at <http://go.vic.gov.au/1epXMN>

SAMPLE

Page 1 of 4

VICTORIA State Government | Health and Human Services

Section A: Travel and accommodation diary

Separate claim forms are required for each specialist

For each treatment date listed on this claim form the specialist was:

Specialist name ______________________

Type of specialist ______________________

Do not add trips after *Section C: Approved medical specialist* has been completed by your specialist or authorised officer.

What do I need to attach?

- All original public transport tickets/receipts/flight itineraries and invoices must be attached. Petrol receipts are not required. Tolls and parking expenses are not covered under the VPTAS.
- myki smart cards should be registered with Public Transport Victoria (PTV) and tax invoices printed to attach to your claim – contact PTV on 1800 800 007 for further assistance with myki.
- All original accommodation invoices must be attached; EFTPOS and credit card receipts are **not classed** as an acceptable invoice.

Attach all documents here

People travelling
P = Patient
E¹ = Escort
E² = Second Escort *(if patient is under 18 years of age)*
P&E = Patient and Escort

Trip type
S = Single *(one way)*
R = Return

Transport type
A = Aeroplane
C = Car
T = Taxi/ Hire car
EM = Air/road ambulance
P = Public Transport *(V/Line, myki, Skybus)*
V = Free rail voucher used

Accommodation type
PV = Private
Example: Staying with friends or family
C = Commercial/subsidised
Examples: Hotel, motel, caravan park

Travel						Accommodation			
Journey	Where was treatment/consultation received? *(Provide full address of where treatment was received)*	People travelling	Trip type	Transport type	Treatment date(s)	Was the patient hospitalised?	Hospital stay dates	Accomm. type	Accomm. dates
Start DD/ MM/ YY	Hospital Name, Street Address, Suburb/City, Postcode	P&E	R	C	Start DD/ MM/ YY	Yes (circled)	Admission DD/ MM/ YY	C	Start DD/ MM/ YY
End DD/ MM/ YY					End DD/ MM/ YY	No	Discharge DD/ MM/ YY		End DD/ MM/ YY
Start / /					Start / /	Yes	Admission / /		Start / /
End / /					End / /	No	Discharge / /		End / /
Start / /					Start / /	Yes	Admission / /		Start / /
End / /					End / /	No	Discharge / /		End / /
Start / /					Start / /	Yes	Admission / /		Start / /
End / /					End / /	No	Discharge / /		End / /
Start / /					Start / /	Yes	Admission / /		Start / /
End / /					End / /	No	Discharge / /		End / /

SAMPLE

Section B: Patient's details *(Complete in BLOCK CAPITALS and ✓ where applicable)*

1. Title Mr ☐ Mrs ☐ Miss ☐ Ms ☐ Other ________
2. Given name ________
3. Middle name ________
4. Family name ________
5. Gender Male ☐ Female ☐
6. Date of birth __ / __ / ____
7. Are you of Aboriginal or Torres Strait Islander descent? Yes ☐ No ☐
8. Residential address ________

   Postcode ____
9. Postal address ________

   Postcode ____
10. Telephone ________ or ________
11. Email address ________
12. Do you have a current **pension concession, health care** or **DVA** card? Yes ☐ No ☐

    If 'Yes' a. Card number ________

    b. Card expiry date __ / __ / ____

    c. If DVA card Gold ☐ White ☐ Other ________
13. Have you made a previous claim for VPTAS? Yes ☐ No ☐
14. How many return trips are you claiming for on this claim form? ____
15. Did you have an escort? Yes ☐ No ☐

Note: An escort is responsible for the patient's transport and accommodation needs during treatment.
***Patients under the age of 18 years** may be entitled to up to two escorts when the patient requires treatment or admission to a hospital over two or more consecutive days.*

16. **Escort #1**		17. **Escort #2** (If patient is <18 years)	
Given name		Given name	
Middle name		Middle name	
Family name		Family name	
Date of birth	__ / __ / ____	Date of birth	__ / __ / ____
Telephone		Telephone	

SAMPLE

Section C: Approved medical specialist

Medical specialist or authorised officer to complete

- **This section is not to be completed by the patient or escort**
- This section must be completed on or after the last treatment or consultation date listed in *Section A: Travel and accommodation diary*
- An **authorised officer** is a person who works with the medical specialist. It includes registrars, resident medical officers, interns, nurse unit managers, social workers, ward clerks or administration staff such as reception staff.
- Please call the VPTAS Office on **1300 737 073** if you require assistance

1. Specialist's name **(not name of authorised officer):**

   Use Specialist stamp here (if applicable)

   ____
2. Type of specialist ________
3. Specialist provider number ________

For the trips listed in *Section A: Travel and accommodation diary*

4. Did the patient require an escort? Yes ☐ No ☐
5. Did the patient require accommodation? Yes ☐ No ☐
6. If 'yes', how many nights of accommodation **in total**? *(not per trip)* ____

   Note: If 'yes' is selected for point 5 and the number of nights are not allocated above, only one night will be subsidised.

Confirmation by treating medical specialist or *authorised officer*:

7. Name ________
8. Position ________

9a. Direct Telephone ________

9b. Direct Facsimile ________

10. Email ________
11. Signature ________
12. Date __ / __ / ____

The department may contact you to clarify information relating to the patient's claim.

Section D: Consent and declaration

Section D must be completed by the patient or legal guardian for the VPTAS Office to process your claim.

By printing and signing my name below, I:

1. Patient or legal guardian (print name)

2. Signature

3. Date __ / __ / ____

- declare that the information provided is true and correct.
- authorise the Department of Health & Human Services or officers acting on behalf of the department to discuss information regarding my VPTAS application with my medical specialist or other relevant parties as necessary.

Section E: Payment details

Please tick a payment option: EFT ☐ Cheque ☐

For travel ☐ and/or accommodation ☐

Payee's information

Name

Postal address

Postcode

If you wish to be **paid electronically,** please provide your details below, otherwise a cheque will be issued.

Electronic Funds Transfer

I have been paid via EFT before and my details are the same

Yes ☐ No ☐ *(if no, please complete the details below)*

Account name:

BSB ___ - ___

Account number:

☐ *Send my payment advice slip to email address provided in Section B*

Payment to other provider

For travel ☐ and/or accommodation ☐

Full business name:

Postal address

Postcode

SAMPLE

Contact us

Telephone: 1300 737 073
Facsimile: 03 5333 6437
Email: vptas@dhhs.vic.gov.au
Note: The VPTAS Office is unable to receive claims via email or fax.

Claim lodgement

Send your completed claim to:
VPTAS Office
PO Box 712
Ballarat VIC 3353

Claim forms can be collected and submitted at your local Department of Health & Human Services office. Claim forms can be accessed and ordered online at <http://go.vic.gov.au/1epXMN>.

Accessibility

If you would like to receive this publication in an accessible format, please phone 1300 737 073 using the National Relay Service 13 36 77 if required.

Privacy

The Department of Health & Human Services is committed to protecting your privacy. We collect and handle personal information in this form for the purposes of administering and processing payments for your VPTAS claim. If you choose not to provide your personal information or only provide part of the information requested, we may not be able to process your claim.

You have a right to access your personal information through the *Freedom of Information Act 1982*.*

For information on the department's privacy policy, please visit the department's privacy website at <www.dhhs.vic.gov.au/privacy>.

* For information about freedom of information (FoI) requests, visit the department's FOI website at <www.health.vic.gov.au/foi.htm>

शब्दावली

अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ	अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ वह चिकित्सा विशेषज्ञ है जो *स्वास्थ्य बीमा विनियम* 1975 (*Health Insurance Regulations 1975*) की अनुसूची 4 के अनुसार *स्वास्थ्य बीमा अधिनियम* 1973 *(कॉमनवेल्थ)* (*Health Insurance Act 1973*) (Cwlth) के अधीन किसी खास विशेषज्ञता में एक विशेषज्ञ के तौर पर Medicare Australia के साथ पंजीकृत हो अथवा: • कोई ऐसा मेडिकल प्रेक्टिशनर जो किसी अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ की निगरानी में किसी अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाओं प्रदान करता हो • किसी अस्पताल के ऑपरेटिंग थिएटर में मौखिक सर्जरी के प्रकार की विशेषज्ञ डेन्टल सेवाएँ प्रदान करने वाला कोई पंजीकृत डेन्टल प्रेक्टिशनर हो, अथवा • डेन्टल हेल्थ सर्विसिज़ विक्टोरिया के साथ पंजीकृत डेन्टल प्रेक्टिशनर हो जो इसकी स्पेशलिस्ट युनिट सूची में उल्लिखित तरीके के अनुसार सेवाएँ प्रदान कर रहा हो।
अनुमोदित रोगी का एस्कॉर्ट	रोगी का एस्कॉर्ट उपचार के दौरान रोगी के परिवहन और आवास के लिए जिम्मेदार होता है और अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा इन्हें आवश्यक माना जाता है।
प्राधिकृत अधिकारी	प्राधिकृत अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो आपके चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ काम करता है और आपके विवरन तथा प्राप्त की गई अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाओं की पुष्टि कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रार, रेज़ीडेन्ट मेडिकल ऑफिसर, इंटर्न, नर्सिंग युनिट मैनेजर, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट जैसा प्रशासनीय कर्मचारी हो सकता है। प्राधिकृत अधिकारी चिकित्सा विशेषज्ञ की ओर से VPTAS क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है, परन्तु चिकित्सा विशेषज्ञ का के विवरण प्रदान किए जाने चाहिए।
ब्लॉक ट्रीटमेंट	वो परिस्थिति जहाँ एक या एक से अधिक सप्ताहों के लिए रोगी द्वारा अपने निवास-स्थान से उपचार स्थल तक प्रति सप्ताह औसतन 500 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। सात लगातार दिनों को एक 'सप्ताह' माना जाता है और, यह ज़रूरी नहीं है कि सात लगातार दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार तक ही हों।
रोगी	वह व्यक्ति जो विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा में भाग लेने के लिए यात्रा करता है और जो VPTAS क्लेम फॉर्म पर VPTAS सहायता के लिए आवेदन कर रहा है।
विक्टोरियाई रोगी परिवहन सहायता योजना (VPTAS) क्लेम फॉर्म	यह यात्रा और आवासीय सहायता के लिए VPTAS आवेदन फॉर्म है। यह <http://go.vic.gov.au/1epXMN> पर उपलब्ध है।
उपचार वर्ष	रोगी के सबसे पहले अनुमोदित चिकित्सा विशेषज्ञ उपचार या अपॉइंटमेंट की तिथि से लेकर 12 महीने की अवधि को उपचार वर्ष के तौर पर परिभाषित किया जाता है।

टैक्सी	टैक्सी एक मीटरयुक्त गाड़ी होती है जिसे इशारा करके अपने पास बुलाया जा सकता है या इसे पहले से बुक किया जा सकता है। टैक्सी से की गई यात्रा VPTAS सहायता की पात्र हो सकती है।
हायर कार	हालांकि टैक्सी के समान, हायर कार केवल पहले से बुक की जाने वाली सेवा होता है, इसलिए इसे स्ट्रीट से इशारा करके नहीं रोका जा सकता है या इसकी सेवा टैक्सी रैंक से प्राप्त नहीं की जा सकती है। हायर कार में मीटर नहीं लगा होता है और सफर की लागत का समझौता बुकिंग करते समय किया जाता है। हायर कार के किरायों की प्रतिपूर्ति योजना के माध्यम से नहीं की जाएगी, परन्तु यदि लागू हो तो इसके बराबर के टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।